




सत्यमेव जयते


भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2024-25

भारतीय प्रमुख हवाईअड्डे Indian Major Airports





वार्षिक रिपोर्ट 2024-25





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

1. प्रस्तावना

स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए श्री नरेश चंद्र समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने इसकी दिनांक 12.05.2009 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 317 (ई) द्वारा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) की स्थापना की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

2. प्राधिकरण के प्रमुख अधिकारियों का प्रोफाइल

(क) श्री एस. के. जी. रहाटे, अध्यक्ष



श्री एस. के. जी. रहाटे ने 14 मई, 2024 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। श्री रहाटे झारखंड संवर्ग (कॉडर) के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इंस्ट्रुमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की स्नातक (बीई) डिग्री प्राप्त की है।

श्री रहाटे ने प्रारंभ में जिला, फिर राज्य सचिवालय और तत्पश्चात भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लोक प्रशासन का व्यापक एवं विशिष्ट अनुभव प्राप्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने तीन दशकों से भी अधिक समय लोक सेवा में लगाकर अपना असाधारण कैरियर बनाया है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, नवादा, बिहार और उपायुक्त एवं कलेक्टर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, झारखंड के रूप में कार्य किया। अपने संवर्ग में वे प्रधान सचिव, ऊर्जा; प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार तथा गृह सचिव, झारखंड के पद पर भी रहे हैं। भारत सरकार में उन्होंने निदेशक, गृह मंत्रालय; निदेशक, ग्रामीण विकास; संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय; वित्त आयुक्त, ईएसआईसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; अपर सचिव, ऊर्जा मंत्रालय और अंत में 30 अप्रैल, 2024 को भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने से पूर्व सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय के पद पर कार्य किया है।

श्री रहाटे ने उप जिला/जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन और विकास/कल्याण प्रशासन स्तर का कार्य करने के साथ-साथ राज्य सरकार/भारत सरकार में योजना संकल्पना, प्रतिपादन और मॉनीटरिंग का कार्य किया है। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार के कृषि/ऊर्जा/न्याय मंत्रालय में नीति निर्धारण का कार्य किया है। उन्हें अवसंरचना विभागों का अच्छा अनुभव है और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों जैसे कि डीवीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी, आरईसी, पीएफसी, राष्ट्रीय बीज निगम, नारियल विकास बोर्ड के निगमित कामकाज का भी व्यापक अनुभव है, जहां वे निदेशक मंडल के सदस्य रहे हैं। जहां तक विनियामक मुद्दों का संबंध है उन्होंने बिजली वितरण कंपनी, बिजली उत्पादन कंपनी, बिजली संचरण कंपनी के विभिन्न विनियामक मुद्दों तथा अपीलों के संबंध में राज्य विद्युत विनियामक आयोग, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपटेल) की कार्यप्रणाली की गहन जानकारी प्राप्त की है।

(ख) श्री धर्मेन्द्र कुमार कामरा (आईएपी), सदस्य



श्री डी.के. कामरा ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के साथ-साथ निर्माण प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एमबीए किया है। उन्होंने विमानपत्तन प्रबंधन व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रम (एएमपीएपी) पूर्ण किया है। साथ ही उन्हें इकाओ के सहयोग से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा आईएपी (अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रोफेशनल) का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने विमानपत्तन प्रबंधन व्यावसायिक प्रमाणन कार्यक्रम (एएमपीएपी) पूर्ण किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद द्वारा संचालित "सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से हवाईअड्डा विकास", प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) और फ्रेंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जर्मनी द्वारा संचालित वरिष्ठ प्रबंधन विकास संबंधी उच्च प्रबंधन कार्यक्रम के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए।

पांच (05) वर्ष प्राइवेट सेक्टर और चार (4) वर्ष तक एनडीडीबी (एनडीआरआई) में सेवा करने के बाद श्री कामरा ने 1994 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यग्रहण किया। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 35+20 गैर-मैट्रो हवाईअड्डा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। परियोजना तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने का व्यापक अनुभव होने के कारण उन्हें निर्माण उद्योग में कई पुरस्कार प्रदान किए गए। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा और जम्मू हवाईअड्डा टर्मिनल (दोनों को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह- IV स्टार का दर्जा दिया गया) की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के बाद उन्हें सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2016 (सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना) प्रदान किया गया। साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा स्कॉच बीएसई ऑर्डर ऑफ मेरिट और स्कोटेक बीएसई पुरस्कार, नेटवर्क 18 और हनीवेल द्वारा बिल्ट इन्वायरन्मेंट 2014-15 में उत्कृष्टता के लिए इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस (आईबीसी) पुरस्कार एवं स्मार्ट बिल्डिंग एवार्ड 2016 प्रदान किए गए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में वर्ष 2017 से कार्यपालक निदेशक के रूप में उनका निम्नलिखित योगदान रहा:

- (क) 2017-2019 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक के रूप में एयरफील्ड अवसंरचना, कार्गो आदि का विकास करने के लिए संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र का कायापलट करने पर उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा "अध्यक्ष का उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018" प्रदान किया गया। तत्पश्चात उन्हें लोक सेवक श्रेणी में सीआईडीसी-2019 विश्वकर्मा पुरस्कार से भी नवाजा गया।
- (ख) कार्यपालक निदेशक (जेवीसी और टैरिफ) के रूप में उन्होंने 83 गैर-प्रमुख हवाईअड्डों के लिए टैरिफ में संशोधन करने (2019-20), पूरे भारत के हवाईअड्डों के लिए एएनएस प्रभागों में संशोधन करने तथा एएआई के स्वामित्व वाले प्रमुख हवाईअड्डों के टैरिफ निर्धारण की जिम्मेदारी वहन की।

- (ग) क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के रूप में उत्तरी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरसीएस हवाईअड्डों के विकास के लिए माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा दिनांक 22.11.2021 को उन्हें "चैंपियन ऑफ उड़ान" पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या और 8 आरसीएस हवाईअड्डों सहित उत्तरी क्षेत्र के 35 हवाईअड्डों के अतिरिक्त कुशीनगर, गोरखपुर, देहरादून हवाईअड्डों के विकास का उत्तरदायित्व संभाला।

श्री कामरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हरियाणा एवं पंजाब सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल) तथा लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एलआईएएल) एवं बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के बोर्ड में बोर्ड सदस्य के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया।

(ग) श्रीमती वी. विद्या, सदस्य



श्रीमती वी. विद्या ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण में दिनांक 10 मई, 2024 को कार्यग्रहण किया।

श्रीमती वी. विद्या ने बैंगलूर विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) डिग्री प्राप्त की और वे भारतीय लागत एवं निर्माण लेखाकार संस्थान से लागत लेखाकार हैं।

श्रीमती वी. विद्या को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनेक हवाईअड्डों/ क्षेत्रीय मुख्यालयों/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निगमित मुख्यालय की समग्र वित्त व्यवस्था और लेखा संबंधी कार्यों को संभालने का 34 वर्ष का व्यापक अनुभव है।


भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एरा) में कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निगमित मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर तैनात थीं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त उद्यम सेल और टैरिफ विनियामक सेल की प्रभारी रही हैं। वे डायल, मायल, डीआईएसीएल और एएआईसीएलएएस के मंडल (बोर्ड) में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करती रही हैं।

सुश्री वी. विद्या ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक््रीडिटेशन प्रोग्राम (एएमपीएपी) पूर्ण किया है तथा उन्हें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) के सहयोग से एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) द्वारा आईएपी (इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोफेशनल) की उपाधि प्रदान की गई है। इसके साथ-साथ सुश्री विद्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के विभिन्न कार्य दलों में शामिल रही हैं और उन्होंने इकाओ असेंबली के 39वें सत्र में हवाईअड्डों की गैर-आर्थिक व्यवहार्यता और परस्पर सब्सिडी पर कार्य पत्र भी प्रस्तुत किया है। साथ ही वे एसीआई - एशिया-प्रशांत आर्थिक समिति की समिति सदस्य भी हैं।

3. संगठनात्मक स्वरूप

प्राधिकरण का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दर्शाया गया है:

ऐरा का संगठनात्मक स्वरूप



ऐरा के स्टाफ में विमानन और वित्त क्षेत्र में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त विभिन्न केंद्रीय, राज्य सेवाओं और विभागों/संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी/कर्मचारी हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट की अवधि के आखिर में ऐरा में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव सहित कुल 26 स्टाफ सदस्य थे।

4. विनियम का दायरा

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम के अनुसार ऐरा का मुख्य कार्य प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ एवं अन्य प्रभारों को विनियमित करना तथा निष्पादन मानकों को मॉनीटर करना है। प्राधिकरण ने हवाईअड्डा प्रचालकों एवं कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान को ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए 2010-11 में अपने विनियामक सिद्धांत और दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया।

4.1 प्राधिकरण के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

- वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करना
- प्रमुख हवाई अड्डों के संबंध में विकास शुल्क की राशि निर्धारित करना
- वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के तहत बनाए गए वायुयान नियम, 1937 के नियम 88 के तहत वसूले जाने वाले पीएसएफ की राशि निर्धारित करना
- सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित ऐसे निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुवीक्षण करना, जो केन्द्रीय सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (i) को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत संशोधित किया गया था, ताकि प्रमुख हवाई अड्डों के लिए वार्षिक यात्री आवागमन (थ्रूपुट) की न्यूनतम सीमा को "डेढ़ मिलियन" से बढ़ाकर "साढ़े तीन मिलियन" करने में सुविधा हो सके। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, उक्त खंड को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत फिर से संशोधित किया गया, ताकि "प्रमुख हवाई अड्डों" शब्द के दायरे का विस्तार करते हुए इसमें "हवाई अड्डों के समूह" को शामिल किया जा सके।

4.2 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ऐरा अधिनियम, 2008 (2019 और 2021 के अनुवर्ती संशोधनों के साथ पठित) के संगत प्रावधानों के अनुसार और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए अनुसार 34 हवाई अड्डे 'प्रमुख हवाई अड्डों' के दायरे में आते हैं। इनकी सूची निम्नानुसार है:

1. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली
2. छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुम्बई
3. कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बैंगलुरु
4. राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद
5. कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि
6. चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़
7. चेन्नै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नै
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता
9. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद
10. त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम
11. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ
12. जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर
13. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी
14. कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोझीकोड
15. गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डेबोलिम, गोवा
16. पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे

17. जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना
18. गुरू राम दासजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर
19. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी
20. बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर
21. स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा, रायपुर
22. तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली
23. मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलूरु
24. कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कन्नूर
25. शेख उल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर
26. शिर्डी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिर्डी
27. मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा, गोवा
28. देवी अहिल्या बाई होल्कर हवाई अड्डा, इंदौर
29. कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर
30. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर
31. वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर
32. नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुम्बई
33. जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून
34. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर

5. प्रमुख गतिविधियां

01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान ऐरा ने वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए:

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
हवाई अड्डा टैरिफ आदेश			
1	आदेश संख्या 02/2024-25	तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम (टीआरवी) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	21.06.2024
2	आदेश संख्या 03/2024-25	जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर (जेएआई) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2022 से 31.03.2027) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	12.07.2024
3	आदेश संख्या 06/2024-25	शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शिरडी (एसएजी) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	27.08.2024

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
4	आदेश संख्या 07/2025-26	लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, गुवाहाटी (जीएयू) के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	06.09.2024
5	आदेश संख्या 08/2025-26	कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोयम्बटूर (सीजेबी) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2028) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	09.09.2024
6	आदेश संख्या 13/2025-26	इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, इंदौर (आईडीआर) के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2028) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	08.11.2024
7	आदेश संख्या 16/2024-25	लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी (वीएनएस) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	01.03.2025
8	आदेश संख्या 17/2024-25	श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर (एटीक्यू) के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	21.03.2025
9	आदेश संख्या 20/2024-25	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली (डीईएल) के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029) के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण।	28.03.2025
स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए तदर्थ आदेश			
10	आदेश संख्या 01/2024-25	मैसर्स ए.आई. एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए.आई.ए.एस.एल.) के संबंध में चैन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए 10.06.2024 से 31.03.2025 तक के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।	05.06.2024
11	आदेश संख्या 05/2024-25	कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरु में एयर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक्सप्रेस कूरियर कार्गो हैंडलिंग के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।	19.08.2024
12	आदेश संख्या 11/2024-25	जीएसईसी लिमिटेड के लिए सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (एसवीपीआईए), अहमदाबाद में नाशवान और सामान्य कार्गो केन्द्र (सीपीसी) के संबंध में तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।	30.09.2024
13	आदेश संख्या 14/2024-25	मैसर्स एएआईसीएलएएस द्वारा इन्दौर, कोयम्बटूर और पोर्ट ब्लेयर के तीन प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।	22.11.2024
14	आदेश संख्या 15/2024-25	मैसर्स अरुण एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, श्रीनगर में प्रदान की जाने वाली अंतरदेशीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ का निर्धारण।	31.01.2025

क्र. सं.	आदेश संख्या	विषय	जारी करने की तारीख
टैरिफ की वैधता को अंतरिम रूप से बढ़ाने के लिए आदेश			
15	आदेश संख्या 04/2024-25	मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए सीएसएमआईए, मुम्बई में इंटो प्लेन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रचलित (30.10.2024 को) टैरिफ तृतीय नियंत्रण अवधि की शेष अवधि अर्थात् 31.10.2024 से 31.03.2026 तक बढ़ाना।	14.08.2024
16	आदेश संख्या 09/2024-25	मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2025 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	24.09.2024
17	आदेश संख्या 10/2024-25	स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली की अवधि 31.03.2025 तक बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	26.09.2024
18	आदेश संख्या 18/2024-25	मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.06.2025/30.09.2025 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	24.03.2025
19	आदेश संख्या 19/2024-25	स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्गो सुविधा, ग्राउंड हैंडलिंग एवं विमान में ईंधन की आपूर्ति (सीजीएफ) सेवाओं के संबंध में मौजूदा टैरिफ की वसूली 30.09.2025 तक बढ़ाने के लिए अंतरिम व्यवस्था।	28.03.2025
अन्य आदेश			
20	आदेश संख्या 12/2024-25	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (ऐरा अधिनियम, 2008) की धारा 2(i) के अंतर्गत जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून (डीईडी) को 'प्रमुख हवाई अड्डा' घोषित करने के संबंध में।	25.10.2024

6. निष्पादन मानक

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 51 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादन मानकों के संबंध में नियम बनाएगी। इसके अतिरिक्त ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) का एक कार्य प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के अलावा ऐसे निर्धारित कार्य निष्पादन मानकों की निगरानी करना है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

वर्तमान में, प्रमुख हवाईअड्डों के लिए वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक मापदंडों सहित कार्य निष्पादन मानक, ऐरा के वर्ष 2011 में जारी टैरिफ दिशा-निर्देशों में निर्धारित किए गए हैं। परंतु, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 में एएआई द्वारा प्रचालित हवाईअड्डों के लिए कार्यनिष्पादन मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि एएआई उन सभी हवाईअड्डों के लिए 4.5 या उससे अधिक की एएसक्यू रेटिंग बनाए रखेगा जिनका थूपुट 1.5 एमपीपीए (ऐरा अधिनियम 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार संशोधित मात्रा 3.5 एमपीपीए) से अधिक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी/संयुक्त उद्यम/निजी हवाईअड्डों के संबंध में, कार्य निष्पादन मानक उनके संबंधित रियायत करार/ओएमडीए में भी निर्धारित किए गए हैं। तदनुसार, व्यक्तिपरक सेवा गुणवत्ता मानकों का मापन एसीआई (एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल) और स्काई ट्रेक्स आदि जैसी तृतीय पक्ष की रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई एएसक्यू (एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी) रेटिंग के आधार पर किया जा रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी/संयुक्त उद्यम/निजी हवाईअड्डों पर वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता मानकों की निगरानी संबंधित रियायत देने वाले प्राधिकरणों द्वारा उनके रियायत करार/ओएमडीए के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। इस प्रकार, प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्य निष्पादन मानकों का वर्तमान स्वरूप एक समान नहीं है और समग्र स्वरूप काफी हद तक अनावश्यक विस्तार वाला है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी देखते हुए कि पिछले कुछ वर्षों में हवाईअड्डा क्षेत्र में और डिजी यात्रा, सेल्फ-बैगेज ड्रॉप आदि जैसी यात्री सुविधाओं के लिए नई प्रौद्योगिकीय पहल के कारण यात्रियों की अपेक्षाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, नागर विमानन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि सभी हवाईअड्डों पर कार्य निष्पादन मानकों को एक समान किया जाना चाहिए। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) से प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक समान कार्य निष्पादन मानकों का एक नया सेट निर्धारित करने और उसे तैयार करने का अनुरोध किया, जिसे मंत्रालय द्वारा ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जा सके।

तदनुसार, ऐरा ने हवाईअड्डों पर सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादन मानकों का एक समान सेट निर्धारित और तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में सहायता के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदाता की नियुक्ति भी की है। परामर्शदाता ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों, आईसीएओ और आईएटीए मानकों, विभिन्न हवाईअड्डों के रियायत करार का अध्ययन और विश्लेषण किया है तथा सेवा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को समझने और उनका विश्लेषण करने के लिए हवाईअड्डों के स्थल का दौरा भी किया है। इस संबंध में उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने और दृष्टिकोण जानने के लिए नागर विमानन मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों जैसे डीजीसीए, बीसीएस आदि के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चाएँ भी हो चुकी हैं और कार्य जारी है।

7. ऐरा में न्यायालयी मामले

31.03.2024 को विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में उंचास (49) मामले लंबित हैं जिनमें ऐरा अपीलकर्ता या प्रतिवादी है। वर्ष 2024-25 के दौरान ऐरा या अन्य पक्षकार द्वारा सात (07) नए मामले (माननीय टीडीएसएटी-05 और माननीय उच्चतम न्यायालय-02) दर्ज किए गए।

इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान ऐरा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक (01) विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) और दो (02) पुनर्विचार याचिकाएँ दायर की गईं और उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी

और पुनर्विचार दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक (01) अवमानना याचिका और केंद्रीय जिला न्यायालय दिल्ली द्वारा एक (01) औद्योगिक विवाद मामले का निपटारा किया गया। 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	न्यायालय/अधिकरण	मामलों की संख्या
1.	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी)	30
2	भारत का उच्चतम न्यायालय	16
3	उच्च न्यायालय, दिल्ली	01
4	राजस्थान उच्च न्यायालय	01
5	बॉम्बे उच्च न्यायालय	01
	कुल मामले	49

8. प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामले

(क) लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता एवं अन्य गतिविधियों के लिए विशेष अभियान का आयोजन:

नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार, 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक प्राधिकरण में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के दौरान, ऐरा कार्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई और सौंदर्यीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक विशेष अभियान चलाए गए जिनके दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अप्रासंगिक फाइलों और दस्तावेजों की समीक्षा की और उन्हें छांटने के लिए अलग किया, साथ ही संबंधित कार्यस्थल और दराजों आदि की भी सफाई की।

ऐरा में निम्नलिखित अन्य प्रमुख गतिविधियां आयोजित की गईं:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	संचालित गतिविधि	दिनांक
1	"अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" समारोह	21 जून, 2024 को फ्लाइंग क्लब एएआईओए, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में योग शिविर का आयोजन कर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस -2024 मनाया गया।	21 जून, 2024
2	सतर्कता जागरूकता अभियान -2024	सतर्कता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ऐरा के कर्मचारियों के लिए पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और सत्य-निष्ठा की शपथ जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।	16 अगस्त, 2024 से 15 नवम्बर, 2024

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	संचालित गतिविधि	दिनांक
3	हिंदी पखवाड़ा	हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां जैसे शब्दावली, निबंध, टंकण, भाषण, प्रश्न मंच, कविता पाठ आदि का आयोजन किया गया।	14 से 30 सितम्बर, 2024
4	विशेष अभियान 4.0	स्वच्छता पखवाड़ा सहित विशेष अभियान 4.0 का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल, अलमारियाँ, फ़ाइल रैक, पानी की टंकियाँ और ऐरा के आस-पास के स्थान जैसे पार्किंग और सड़क क्षेत्रों की सफाई की गई। पुराने रिकॉर्ड और कागज़ों को हटाया गया और चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।	2 से 31 अक्टूबर, 2024 तक
5	संविधान दिवस	संविधान दिवस मनाया गया और भारतीय संविधान पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।	26 नवम्बर, 2024
6	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर जागरूकता और संवेदनशीलता	उक्त अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों ने ऐरा के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित किया और अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों और सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से बताया।	17 दिसम्बर, 2024
7	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और "महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे" विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया।	10 मार्च, 2025
8	व्यक्तिगत कल्याण, स्वास्थ्य और क्षमता विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ	"आँखें और हमारा स्वास्थ्य" तथा "अपनी क्षमता को पहचानना और विकसित करना" विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए।	30 मई, 2024 22 जनवरी, 2025

(ख) सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ऐरा में सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए। कर्मचारियों को सरकारी काम हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यालय में प्रेरणा, कर्मचारियों के कल्याण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर विभिन्न व्याख्यान और वार्ताएं आयोजित की गईं।

14-30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, इस दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लगभग 132 कार्मिकों ने इनमें पूरे जोश एवं उत्साह से भाग लिया और विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। इस अवधि के दौरान, हिंदी अनुभाग ने राजभाषा के काम के संबंध में प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। वेबसाइट पर हिंदी सामग्री को अद्यतन करना सुनिश्चित करने के लिए ऐरा की वेबसाइट की समीक्षा भी की गई।

राजभाषा विभाग द्वारा 14-15 सितम्बर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय स्तर के हिंदी सम्मेलन में प्राधिकरण की ओर से नौ (09) कार्मिकों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग द्वारा जयपुर (राजस्थान) में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में चार (04) कार्मिकों ने भाग लिया। वर्ष के दौरान कार्मिकों के लिए सात (07) हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल 300 कार्मिकों ने भाग लिया।

अध्यक्ष, ऐरा की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। अधिकारियों को अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्राधिकरण में भारत सरकार की राजभाषा (हिंदी) प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। वर्ष के दौरान इस योजना के विजेता तेरह (13) कार्मिकों को कुल 45,000/- रुपये के नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए।

नागर विमानन मंत्रालय ने भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में 06 जून, 2024 को ऐरा का निरीक्षण किया था और इस संबंध में किए गए कार्यों के लिए ऐरा की सराहना की।

(ग) महिला कल्याण जिसमें जेन्डर बजटीय आंकड़ें भी शामिल है:

ऐरा में 28 महिला कर्मचारी हैं (एएआई से लोन आधार पर लिए गए कर्मचारी और आउटसोर्स आधार पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों सहित), जिनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी उपाय किए गए हैं, जैसे चिकित्सीय आपात स्थिति होने पर या सरकारी कार्य की वजह से अनिवार्य होने पर जल्दी कार्यालय पहुंचने के लिए घर से लाने/देर होने पर घर छोड़ने के लिए परिवहन/वाहन का प्रावधान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर सामान्य वार्ता का आयोजन, महिला शौचालयों के लिए समर्पित महिला हाउसकीपिंग कर्मचारी आदि।

(घ) जन शिकायत निवारण व्यवस्था:

प्राधिकरण प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल में पंजीकृत है और शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।

(ड) प्रदूषण नियंत्रण:

प्राधिकरण हवाईअड्डों द्वारा पर्यावरण अनुकूल उपाय किए जाने को प्रोत्साहित करता है और टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के दौरान इसके लिए उन्हें तदनुसार प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। इन उपायों में मोटे तौर पर सौर/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण, शोधन संयंत्र के माध्यम से पानी की रिसाइक्लिंग आदि सम्मिलित हैं।

(च) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व:

प्राधिकरण केवल प्रतिनियुक्ति आधार पर ही ऐरा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती करता है और इस कारण से आरक्षण नीति सीधे तौर पर लागू नहीं है। तथापि ऐरा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

(छ) दिव्यांगों के लिए सुविधाएं:

इस अवधि के दौरान, ऐरा कार्यालय उड़ान भवन में स्थानांतरित कर दिया है, जो सफदरजंग हवाई अड्डा परिसर में स्थित ऐरा, एएआईबी, बीसीएएस, डीजीसीए और एएआई का नवनिर्मित संयुक्त कार्यालय भवन है। यहाँ लिफ्टें, रैंप और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अलग शौचालय भी उपलब्ध हैं। ऐरा की वेबसाइट भी उनके लिए अनुकूल है।

(ज) प्रमुख उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2024-25 के प्रारंभ में 30 प्रमुख हवाई अड्डे थे और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों की सूची में चार (4) और हवाई अड्डे जोड़े गए, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में प्रमुख हवाई अड्डों की कुल संख्या चौतीस (34) हो गई।

ऐरा द्वारा इस रिपोर्ट की अवधि, अर्थात् 01.04.2024 से 31.03.2025 के दौरान विभिन्न हवाई अड्डा प्रचालकों और स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए नीचे बताए अनुसार कुल बीस (20) टैरिफ आदेश जारी किए गए:

1.	हवाई अड्डा प्रचालकों के लिए जारी किए गए टैरिफ आदेश	09
2.	स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं के लिए तदर्थ आदेश	05
3.	अंतरिम रूप से टैरिफ की वैधता बढ़ाने के लिए	05
4.	अन्य आदेश	01

यात्री यातायात में वृद्धि के साथ बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐरा ने आगामी वर्षों में यात्री यातायात की बढ़ती जरूरतों के अनुसार एयरसाइड और यात्री टर्मिनल भवनों आदि सहित हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास, सुधार और विस्तार के लिए विभिन्न हवाई अड्डों के लिए उपर्युक्त टैरिफ आदेशों के माध्यम से कुल 12678 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश (कैपेक्स) की अनुमति दी थी।

वर्ष के दौरान ऐरा द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहल भी की गई:

1) ऐरा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)/संयुक्त उद्यम (जेवी)/पट्टे पर लिए गए हवाई अड्डों सहित प्रमुख हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि और हवाई अड्डों के परिवेश की गतिशील प्रकृति के साथ, हवाई अड्डों के आर्थिक

विनियमन में नए मुद्दे सामने आ रहे हैं। इस कारण से प्रचलित ऐरा अधिनियम, 2008 के विभिन्न प्रावधानों को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है ताकि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया की बढ़ती जटिलताओं को दूर किया जा सके और अधिनियम के विभिन्न मौजूदा प्रावधानों की अस्पष्ट व्याख्या के दायरे को कम किया जा सके। क्योंकि इनके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकदमेबाजी हो रही है। इसके लिए, ऐरा ने ऐरा अधिनियम, 2008 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की पुनः समीक्षा की है, जिसके आधार पर ऐरा अधिनियम, 2008 में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है और नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

2) नए कार्य निष्पादन मानकों का सेट तैयार कर निर्धारित करना:

कार्य निष्पादन मानकों का वर्तमान स्वरूप सभी हवाईअड्डों के लिए एक समान नहीं है और पिछले एक दशक में हवाईअड्डा क्षेत्र में यात्रियों की अपेक्षा बढ़ी है, साथ ही यात्री यातायात में भी वृद्धि होने आदि जैसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसे देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि ऐरा हवाईअड्डों पर सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित एक समान कार्य निष्पादन मानकों का नया सेट तैयार और निर्धारित करने का कार्य करे, जो सभी प्रमुख हवाईअड्डों पर लागू होगा। तदनुसार, ऐरा ने प्रमुख हवाईअड्डों के लिए कार्य निष्पादन का एक नया सेट निर्धारित और तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे नागर विमानन मंत्रालय ऐरा अधिनियम, 2008 के मौजूदा प्रावधानों के तहत बाद में अधिसूचित करेगा।

3) ऐरा के टैरिफ दिशा-निर्देश, 2011 में संशोधन:

टैरिफ निर्धारण के लिए ऐरा दिशा-निर्देश-2011 में जारी किए गए थे। समय के साथ, हवाईअड्डों के परिवेश में बड़े बदलाव आए हैं, यात्री यातायात में तेजी से वृद्धि हुई है और मौजूदा हवाईअड्डों के विस्तार/संवर्धन तथा नए हवाईअड्डों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश हुआ है। इससे हवाईअड्डों के आर्थिक विनियमन ढाँचे में कई नए मुद्दे सामने आए हैं। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मौजूदा टैरिफ दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है।

तदनुसार, ऐरा ने अपनी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने और प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए अपने टैरिफ निर्धारण दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा और संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। संशोधित दिशा-निर्देशों से सभी नियामक ढाँचों में बेहतर लागत अनुकूलन और दक्षता तथा यूडीएफ सहित हवाईअड्डा प्रभारों/शुल्कों के अधिक व्यावहारिक आवंटन पर ध्यान केंद्रित होगा, साथ ही सभी हितधारकों के लिए समान परिणाम सुनिश्चित होंगे।

09. बजट:

(क) निधियन संरचना

ऐरा सरकारी सहायता - अनुदान के माध्यम से अपने लिए निधियन प्राप्त करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से 22.20 करोड़ रूपए प्राप्त किए। ऐरा अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाता या वसूल नहीं करता।

10. विनियामक पक्ष-समर्थन और प्रयोक्ताओं के हित का संरक्षण

ऐरा के अधिकारी विनियामक संरचना के क्षेत्र में विनियामक संबंधी श्रेष्ठ पद्धतियों, मुद्दों और चुनौतियों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लेते हैं।

ऐरा भारतीय विनियामक मंच का सदस्य भी है और अन्य विनियामक क्षेत्रों में हो रहे विकास से अवगत रहने के लिए नियमित रूप से इसकी गतिविधियों में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त ऐरा दक्षिण एशिया अवसंरचना विनियामक मंच (एसएएफआईआर) का भी सदस्य है।

ऐरा पूरी तरह से पारदर्शी और संरचित टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया का पालन करता है। हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्तावों को ऐरा की वेबसाइट पर परामर्श पत्र के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है, साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचनाएँ भी जारी की जाती हैं। सभी हितधारकों, अर्थात् हवाईअड्डा प्रचालकों, एयरलाइनों, सेवा प्रदाताओं, यात्री संघों आदि को मौखिक और लिखित प्रस्तुतियाँ देने और आयोजित की जाने वाली हितधारक परामर्श बैठकों में प्रत्यक्ष और ऑनलाइन भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद हवाईअड्डा प्रचालक को सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर जवाबी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करनी होती हैं। दस्तावेजों का पूरा सेट अर्थात् हितधारकों की टिप्पणियाँ और प्रचालकों की जवाबी टिप्पणियाँ, ऐरा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके बाद प्राधिकरण सभी इनपुट (निवेश) का गुणावगुण आधार पर मूल्यांकन करता है और सभी हितधारकों के हितों पर उचित ध्यान देना सुनिश्चित करते हुए संतुलित तरीके से टैरिफ निर्धारित करता है। अंतिम टैरिफ आदेश, जिसमें प्रत्येक निर्णय के लिए विस्तृत तर्क और आधार बताया जाता है, ऐरा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, जिससे टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

11. क्षमता निर्माण

प्राधिकरण अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और नामित करता है। ऐरा द्वारा 23 अक्टूबर, 2024 को 'नैतिकता एवं शासन' और 06 नवम्बर, 2024 को 'आचार संहिता' पर कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं। ऐरा ने नागर विमानन मंत्रालय के अनुमोदन से हवाईअड्डा वित्तीय प्रबंधन, हवाईअड्डा विकास एवं अवसंरचना डिज़ाइन आदि जैसे विमानन के विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में ऐरा के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए आईएटीए (इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

12. लेखा एवं लेखापरीक्षा


वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2025 का तुलन पत्र संलग्न हैं।





वार्षिक लेखा विवरण 2024-25





भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
31.03.2025 को तुलन पत्र का वित्तीय विवरण

(राशि- रूपए)

कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कॉर्पस/पूँजीगत निधि	1	1,02,56,777.09	-3,15,10,632.91
आरक्षित और अधिशेष	2		-
निर्धारित/अक्षय निधि	3		29,43,00,000.00
सुरक्षित ऋण उधार	4		-
असुरक्षित ऋण उधार	5		-
आस्थगित ऋण देयताएं	6		-
मौजूदा देनदारियां और प्रावधान	7	5,79,51,077.00	5,63,76,896.00
कुल		6,82,07,854.09	31,91,66,263.09
परिसंपत्ति			
अचल परिसंपत्ति	8	289.00	26,96,00,335.00
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9		-
निवेश – अन्य	10		-
मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खाते डाले जाने या समायोजित नहीं किए जाने तक)	11	6,82,07,565.09	4,95,65,928.09
कुल		6,82,07,854.09	31,91,66,263.09
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24		-
आकस्मिक देयताएं और खार्तों संबंधी टिप्पणियां	25		-

कृते ए अरोड़ा एंड कंपनी
चाटर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन : 023066एन

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के
प्रबंधन की ओर से

सीए आशीष अरोड़ा
भागीदार
एमआरएन: 515393

नाम: सुयश नारायण
पदनाम: सचिव
दिनांक:

दिनांक :
स्थान : नई दिल्ली

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

(राशि- रूपए)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
विक्रय/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	22,20,00,000.00	16,09,66,095.00
फीस/सदस्यता शुल्क	14		-
निवेश से आय (निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय/निधि में अंतरित)	15		-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		-
अर्जित ब्याज	17		-
अन्य आय	18	15,214.00	2,75,106.00
परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		-
कुल (क)		22,20,15,214.00	16,12,41,201.00
व्यय			
स्थापना खर्च	20	7,02,25,406.00	7,16,36,174.00
अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	21	10,95,31,653.00	9,78,97,443.30
मूल्यहास	8		-
अनुदान और आर्थिक सहायता पर व्यय	22		-
ब्याज	23		-
अचल संपत्तियों पर किया गया व्यय		4,90,745.00	-
कुल (ख)		18,02,47,804.00	16,95,33,617.30
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)		4,17,67,410.00	-82,92,416.30
विशेष आरक्षित राशि में अंतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित राशि से/में अंतरण		-	-
कॉर्पोस/पूँजीगत निधि में ले जाए गए अधिशेष के रूप में शेष/(घाटा)		4,17,67,410.00	-82,92,416.30
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों संबंधी टिप्पणियां	25		

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नाम: सुयश नारायण

पदनाम: सचिव

दिनांक:

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को समाप्त वर्ष की प्रारम्भियाँ और भुगतान

(राशि- रूपए)

प्रारम्भियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. अर्थ शेष					
क) नकद शेष	-	-	1. खर्च		
ख) बैंक में जमा राशि (अनुसूची-11)			क) स्थापना खर्च (अनुसूची 20 के अनुरूप)	6,29,52,317.00	5,95,22,273.00
i) चालू खातों में	4,51,47,064.09	24,87,613.39	ख) प्रशासनिक खर्च (अनुसूची 21 के अनुरूप)	9,98,52,782.00	8,99,66,012.30
ii) जमा खातों में	29,99,998.00	2,28,75,874.00	विक्रेता/कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान		
iii) बचत खातों में	-	-	मंत्रालय को दिया गया ब्याज	15,07,344.00	-
ii) प्राप्त अनुदान			ii) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के बदले किए गए भुगतान (परियोजना के लिए निधि का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण के साथ दिखाया जाना चाहिए)		
क) भारत सरकार से - राजस्व (अनुसूची-13)	22,20,00,000.00	16,45,00,000.00			
ख) भारत सरकार से - पूंजी (अनुसूची-3)	-	13,43,00,000.00			
ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरा) (पूँजी और राजस्व खर्च के लिए अनुदान अलग दिखाए जाएँ)	-	-			
iii. निम्न से निवेशों पर आय			iii. किए गए निवेश और जमा		
क) निर्धारित/अक्षय निधियों से			क) निर्धारित/अक्षय निधियों में से		
ख) अपनी निधियों से (अन्य निवेश)			ख) अपनी निधियों में से (निवेश-अन्य)		
iv. प्राप्त ब्याज			iv. स्थायी परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजीगत कार्यों पर ब्याज		
क) बैंक में जमा राशि पर	34,21,578.00	15,48,225.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	4,90,745.00	35,33,905.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-	ख) चल रहे पूंजीगत कार्यों पर ब्याज	2,47,00,000.00	10,96,00,000.00
v. अन्य आय (अनुसूची-18)			v. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
			क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
			ख) राज्य सरकार को		
			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को		
			vi. वित्त प्रभार		
			vii अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
			क) शुल्क और कर	1,55,11,891.00	1,59,80,480.00
			ख) वापस की गई सुरक्षा जमा राशि और ईएमडी	8,00,000.00	13,62,000.00
			viii. अंत शेष		
			क) नकद शेष		
			ग) बैंक में जमा राशि (अनुसूची-11)		
			i) चालू खातों में	6,63,05,956.09	4,51,47,064.09
			ii) जमा खातों में	14,99,999.00	29,99,998.00
			iii) बचत खातों में		
कुल	27,36,21,034.09	32,81,11,732.39	कुल	27,36,21,034.09	32,81,11,732.39

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की ओर से

नाम: सुशश नारायण
पदनाम: सचिव
दिनांक

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 1 - कॉर्पस/पूँजीगत निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष		-3,15,10,632.91	-2,32,18,216.61
जोड़े : कॉर्पस/पूँजीगत निधि में अंशदान			
जोड़े : आय और व्यय लेखे से अंतरित निवल आय/ (व्यय) की शेष राशि		4,17,67,410.00	-82,92,416.30
वर्ष के अंत में शेष राशि		1,02,56,777.09	-3,15,10,632.91

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. आरक्षित पूँजी			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
2. पुनर्मूल्यांकन की गई आरक्षित राशि			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
3. विशेष आरक्षित राशि			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
4. सामान्य आरक्षित			
पिछले खाते के अनुसार		-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती		-	-
कुल		-	-

(राशि- रूपए)

अनुसूची 3 – निर्धारित/अक्षय निधि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) निधियों का अथशेष		29,43,00,000.00	16,00,00,000.00
(ख) निधियों में परिवर्धन		-	13,43,00,000.00
(i) दान/अनुदान		-	-
(ii) निधियों के कारण किए गए निवशों से आय		-	-
(iii) अन्य परिवर्धन		-	-
कुल (क+ख)		29,43,00,000.00	29,43,00,000.00
(ग) निधियों का उपयोग			
(i) पूंजीगत व्यय		29,43,00,000.00	-
- कॉर्पस निधियां		-	-
- अन्य		-	-
कुल		-	-
(ii) राजस्व व्यय			
- वेतन, मजूदरी और भत्ते आदि		-	-
- किराया		-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय कुल		-	-
कुल		29,43,00,000.00	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख+ग)		-	29,43,00,000.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)			
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) उपार्जित और देय ब्याज		-	-
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण उपार्जित और देय ब्याज		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) उपार्जित और देय ब्याज		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

नोट : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 5 :- असुरक्षित ऋण और उधार	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार		-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		-	-
4. बैंक :			
क) आवधिक ऋण		-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		-	-
5. अन्य संस्थाएं और एंजेंसियां		-	-
6. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
7. सावधि जमा		-	-
8. अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6 : – आस्थगित ऋण देनदारियां	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों के रेहन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		-	-
ख) अन्य		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 7 :- मौजूदा देयताएं और प्रावधान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा देयताएं			
1. स्वीकृतियां		-	-
2. विविध लेनदार:		-	-
क) माल के लिए		-	-
ख) अन्य	1	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-	-
4. निम्नलिखित पर ब्याज, उपार्जित परंतु देय नहीं:		-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार		-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार		-	-
5. सांविधिक देयताएं:		-	-
क) अति देय		-	-
ख) अन्य	2	1,84,822.00	1,16,760.00
6. अन्य मौजूदा देयताएं	3	41,58,305.00	35,22,801.00
7. आस्थगित अनुदान आय (देखें: पाद टिप्पणी)		-	314.00
कुल (क)		43,43,127.00	36,39,875.00
(ख) प्रावधान			
1. कराधान के लिए		-	-
2. उपदान		-	-
3. अधिवर्षिता/पेंशन		-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण		-	-
5. व्यापार वारंटी/दावे		-	-
6. अन्य	4	5,36,07,950.00	5,27,37,021.00
कुल (ख)		5,36,07,950.00	5,27,37,021.00
कुल (क+ख)		5,79,51,077.00	5,63,76,896.00

पाद टिप्पणी		
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	314.00	252.00
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	4,94,615.00	35,33,967.00
वर्ष के दौरान परिशोधित और स्थायी परिसंपत्तियों के साथ मिलाया गया अनुदान	4,94,627.00	35,33,905.00
आय और व्यय में अंतरण	302.00	-
वर्ष के अंत में अंतशेष	-	314.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

अनुसूची-8

विवरण	सकल ब्लाक			मूल्यहास			निवल ब्लाक		
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
क. स्थायी परिसंपत्ति									
1. भूमि									
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) भवन									
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीजहोल्ड भूमि पर	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	1.00	1.00
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) संस्था से असंबद्ध भूमि पर अधिचर्चाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर	1.00	-	-	1.00	-	-	-	1.00	1.00
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	11.00	-	1.00	10.00	-	-	-	10.00	11.00
6. कार्यालय उपस्कर	70.00	-	-	70.00	-	-	-	70.00	70.00
7. कम्प्यूटर/सहायक उपकरण	219.00	5.00	50.00	174.00	-	-	-	174.00	219.00
8. इलेक्ट्रिक संस्थापन	33.00	-	-	33.00	-	-	-	33.00	33.00
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल और पानी की आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य स्थायी परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल -क	335.00	6.00	52.00	289.00	-	-	-	289.00	335.00
पिछले वर्ष	273.00	62.00	-	335.00	-	-	-	335.00	273.00
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	26,96,00,000.00	2,47,00,000.00	29,43,00,000.00	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल -ख-	26,96,00,000.00	2,47,00,000.00	-	-	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष	16,00,00,000.00	10,96,00,000.00	-	26,96,00,000.00	-	-	-	26,96,00,000.00	-
चालू वर्ष का कुल -ग-(क+ख)	26,96,00,335.00	2,47,00,006.00	-	289.00	-	-	-	289.00	289.00
पिछले वर्ष	16,00,00,273.00	10,96,00,062.00	-	26,96,00,335.00	-	-	-	26,96,00,335.00	335.00

नोट: विद्याजालि पोर्टल के माध्यम से 50 क्यूटर/उपकरणों में से 32 क्यूटर विद्यालय को हस्तांतरित किए गए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 9 :- निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 10 : निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-	-
3. शेयर		-	-
4. डिबेंचर और बॉन्ड		-	-
5. सहायक और संयुक्त उद्यम		-	-
6. अन्य (उल्लेख किया जाए)		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 11 : मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) मौजूदा परिसंपत्तियां			
1. वस्तु सूची (इन्वेंट्री):			
क) स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे		-	-
ख) खुले औजार		-	-
ग) स्टॉक इन ट्रेड परिष्कृत माल			
परिष्कृत किया जा रहा माल		-	-
कच्चा माल		-	-
2. विविध देनदार			
क) छह माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण		-	-
ख) अन्य		-	-
3. नकद शेष (चैक/ड्राफ्ट और इम्प्रेस्ट सहित)		-	-
4. बैंक में जमा राशि:			
क) अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		6,63,05,956.09	4,51,47,064.09
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल हैं)		14,99,999.00	29,99,998.00
बचत खातों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में			
चालू खातों में		-	-
जमा खातों में (मार्जिन राशि शामिल हैं)		-	-
बचत खातों में		-	-
5. डाकघर बचत खाते		-	-
कुल (क)		6,78,05,955.09	4,81,47,062.09

	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां			
1. ऋण :			
क) स्टाफ		-	-
ख) संस्था की समान गतिविधियों/ उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)			
2. प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियां		-	-
क) पूंजी खातों पर (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)		-	-
ख) अदायगी		-	-
ग) अन्य	5	4,01,339.00	14,18,055.00
3. उपार्जित आय :			
क) निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर		-	-
ख) निवेश पर - अन्य		-	-
ग) ऋण और अग्रिम पर		-	-
घ) अन्य		271.00	811.00
4. वसूली योग्य दावा:		-	-
क) ब्याज पर वसूली योग्य टीडीएस		-	-
कुल (ख)		4,01,610.00	14,18,866.00
कुल (क+ख)		6,82,07,565.09	4,95,65,928.09

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि-रूपए)

अनुसूची 12 :- बिक्री/सेवाओं से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्री से आय			
क) तैयार माल की बिक्री		-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री		-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री		-	-
2. सेवाओं से आय			
क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार		-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्शदात्री सेवाएं		-	-
ग) एजेंसी कमीशन और दलाली		-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		-	-
ड) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 13 :- अनुदान/आर्थिक सहायता	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान और प्राप्त आर्थिक सहायता)			
1) केन्द्रीय सरकार (देखें: पाद-टिप्पणी)		22,20,00,000.00	16,09,66,095.00
2) राज्य सरकार (सरकारें)		-	-
3) सरकारी एजेंसियां		-	-
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय		-	-
5) अन्तर्राष्ट्रीय संगठन		-	-
6) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		22,20,00,000.00	16,09,66,095.00

पाद टिप्पणी		
केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और आर्थिक सहायता	22,20,00,000.00	16,45,00,000.00
वर्ष के दौरान खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियां (निवल अनुदान)	-	35,33,905.00
	22,20,00,000.00	16,09,66,095.00

टिप्पणी: सीएजी के निदेशानुसार, आय-व्यय खाते में दर्शाई गई अचल संपत्ति की खरीद।

अनुसूची 14 :- शुल्क/अभिदान	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) प्रवेश शुल्क		-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान		-	-
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		-	-
4) जी.पी.एफ. अंशदान		-	-
5) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची – 15 निवेशों से आय (निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड/डिबेंचर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

निर्धारित/अक्षय निधियों में अंतरित

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) रॉयल्टी से आय		-	-
2) प्रकाशनों से आय		-	-
3) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

(राशि- रूपए)

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा राशियों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थाओं में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर			
क) अनुसूचित बैंकों में		-	-
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खाता			
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदार पर ब्याज और प्राप्त करने योग्य अन्य राशियां		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 18 : अन्य आय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:			
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		-	-
ख) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त परिसंपत्तियां		-	-
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन		-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	6	-	-
4. विविध आय	7	15,214.00	20.00
5. अवधि से पहले की आय		-	1,08,561.00
6. अतिरिक्त राशि के लिए किया गया प्रावधान हटा दिया गया		-	1,66,525.00
कुल		15,214.00	2,75,106.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखे की अनुसूचियां

अनुसूची 19 : परिष्कृत माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अंतिम स्टॉक			
- परिष्कृत माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
ख) घटाएं – आरंभिक स्टॉक		-	-
- परिष्कृत माल		-	-
- तैयार किया जा रहा माल		-	-
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)		-	-

अनुसूची 20 : स्थापना खर्च	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वेतन और मजदूरी	8	7,02,25,406.00	7,16,36,174.00
ख) भत्ते और बोनस		-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान		-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (उल्लेख करें)		-	-
ड.) स्टाफ कल्याण खर्च		-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर खर्च			
छ) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		7,02,25,406.00	7,16,36,174.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 21 : अन्य प्रशासनिक खर्च आदि	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. मरम्मत और अनुरक्षण		39,601.00	15,78,065.00
ख. किराया, दर और कर		-	1,05,21,362.00
ग. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार		1,56,850.00	2,28,453.00
घ. मुद्रण तथा लेखन सामग्री		10,27,423.00	1,47,508.00
च. यात्रा और वाहन खर्च		14,39,058.00	11,34,203.00
छ. अभिदान खर्च		4,91,760.00	1,00,000.00
ज. लेखापरीक्षकों का पारिश्रामिक		6,49,865.00	5,42,415.00
झ. आतिथ्य खर्च		1,65,199.00	1,43,820.00
ञ. व्यावसायिक/परामर्श शुल्क		5,18,43,303.00	3,36,90,350.00
ट. विज्ञापन और प्रचार		29,59,859.00	17,21,760.00
ड. वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रभार		25,63,143.00	11,48,387.00
ढ. कार्मिक भाड़े पर लेना		2,05,75,686.00	3,41,82,812.00
ण. अन्य	9	2,76,19,906.00	1,27,58,308.30
कुल		10,95,31,653.00	9,78,97,443.30

पाद टिप्पणी :
पूर्व अवधि मद

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पेंशन एवं छुट्टी वेतन	-	4,06,264.00
अन्य	-	1,36,807.00
	-	5,43,071.00

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण
31.03.2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के लेखे
की अनुसूचियां

(राशि- रूपए)

अनुसूची 22 : अनुदान, आर्थिक सहायता आदि पर व्यय	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		-	-
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		-	-
कुल		-	-

अनुसूची 23 : ब्याज	संलग्नक संख्या	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) सावधि ऋणों पर		-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)		-	-
कुल		-	-

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरण
तुलन पत्र के संलग्नक

(राशि रूपए)

संलग्नक : 1 विविध लेनदार	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
अन्य देयताएं	-	-
कुल	-	-
		(राशि रूपए)
संलग्नक : 2 सांविधिक देयताएं	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
सीजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	19,116.00	30,179.00
आईजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 2%	1,46,590.00	56,010.00
एसजीएसटी जीएसटी टीडीएस @ 1%	19,116.00	30,179.00
देय एनपीएस	-	392.00
कुल	1,84,822.00	1,16,760.00
		(राशि रूपए)
संलग्नक : 3 अन्य चालू देयताएं	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
सुरक्षा जमा	7,31,456.00	12,09,646.00
बयाना राशि	-	8,00,000.00
कॉपीयर मैटेनेंस कॉर्पोरेशन (ईएमडी)	5,000.00	5,000.00
मंत्रालय को देय ब्याज	34,21,849.00	15,08,155.00
कुल	41,58,305.00	35,22,801.00
		(राशि रूपए)
संलग्नक : 4 प्रावधान (अन्य)	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
पेंशन एवं वेतन प्रावधान	31,00,000.00	30,00,000.00
व्यावसायिक शुल्क प्रावधान	39,85,233.00	20,78,469.00
एएमसी के लिए प्रावधान	4,25,000.00	4,53,984.00
लेखा परीक्षा शुल्क का प्रावधान	6,00,000.00	5,41,300.00
वाहन भाड़े पर लेने का प्रावधान	1,89,443.00	1,42,173.00
गृह प्रबंधन खर्च के लिए प्रावधान	-	1,01,924.00
एआई-पुराने बाहरी स्रोत से कार्मिक लेने के लिए प्रावधान	3,21,30,983.00	3,21,30,983.00
बाहरी स्रोत से कार्मिक लेने के लिए प्रावधान	28,85,557.00	23,88,446.00
बिजली एवं पावर के लिए प्रावधान	4,99,962.00	4,99,962.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण प्रभागों के लिए प्रावधान	40,30,767.00	51,00,524.00
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	50,958.00	3,93,440.00
वेतन खर्च के लिए प्रावधान	53,72,547.00	55,64,936.00
सीईए के लिए प्रावधान	3,37,500.00	3,40,880.00
कुल	5,36,07,950.00	5,27,37,021.00

(राशि रूपए)

संलग्नक : 5 अग्रिम और नकद या अन्य प्रकार से वसूली योग्य राशियां	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रेफ्यूजी स्टेयरकेस)	2,80,600.00	7,55,671.00
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	-	5,41,645.00
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	1,20,739.00	1,20,739.00
कुल	4,01,339.00	14,18,055.00

(राशि रूपए)

संलग्नक : 6 विविध सेवाओं के लिए शुल्क	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
पोस्टल ऑर्डर/ आरटीआई शुल्क	-	-
कुल	-	-

(राशि रूपए)

संलग्नक : 7 विविध आय	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
पुराने फर्नीचर और रद्दी माल की बिक्री	14,924.00	-
अन्य प्राप्तियां	290.00	20.00
कुल	15,214.00	20.00

(राशि रूपए)

संलग्नक : 8 वेतन और पारिश्रमिक	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
वेतन खर्च	5,88,46,798.00	5,33,41,029.00
एनपीएस के लिए कर्मचारियों का अंशदान	41,25,445.00	30,82,462.00
पेंशन और छुट्टी वेतन	30,51,825.00	56,95,130.00
चिकित्सा खर्च	13,37,219.00	18,80,984.00
सीपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	11,81,289.00	16,91,967.00
ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान	1,19,636.00	3,96,760.00
बकाया वेतन	-	7,51,245.00
परिवहन भत्ता और सीईए	5,09,628.00	6,09,614.00
बकाया महंगाई भत्ता	1,95,759.00	2,86,854.00
मानदेय	1,55,000.00	1,60,000.00
बोनस	1,24,344.00	1,03,620.00
नियोक्ता का पेंशन का अंशदान	2,83,293.00	1,96,501.00
छुट्टी नकदी	1,20,338.00	31,90,663.00
प्रतिनियुक्ति भत्ता	-	1,77,957.00
जीएसआईएल बने फंड एमसी	4,750.00	25,973.00
राशन भत्ता	-	45,415.00
बकाया एचआरए	1,70,082.00	-
कुल	7,02,25,406.00	7,16,36,174.00

(राशि रूपए)

संलग्न नक्र : 9 अन्वयप्रशासन खर्च	चालू वर्ष (24-25)	पिछला वर्ष (23-24)
वाहन भाड़े पर लेने के लिए संविदा	14,42,191.00	14,20,029.00
इंटरनेट और डेटा प्रभार	4,953.00	78,711.00
समाचार पत्र और पत्रिकाएं	66,490.00	59,383.00
कार्यालय खर्च	1,02,92,669.00	67,71,693.00
टीए/डीए की प्रतिपूर्ति	9,66,922.00	9,59,792.00
ऑफिस बैग की प्रतिपूर्ति	7,875.00	42,099.00
टीडीएस फीस	-	800.00
प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	22,35,287.30
जलपान खर्च	7,64,888.00	5,10,402.00
बैंक प्रभार	12.00	-
एलटीसी अग्रिम	1,12,000.00	1,14,909.00
स्वतंत्र अनुदान की प्रतिपूर्ति	-	2,00,907.00
पूर्व अवधि मद	-	1,36,807.00
टेलिफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति	2,67,279.00	2,27,489.00
एएआई के कर्मचारियों का वेतन	1,36,94,627.00	-
कुल	2,76,19,906.00	1,27,58,308.30

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

अनुसूची -24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परंपरा

जब तक कि अन्यथा न बताया जाए और लेखांकन की पद्धति में न कहा जाए, वित्तीय विवरण पुरानी लागत परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. वस्तु सूची मूल्यांकन

2.1 सामान और अतिरिक्त पुर्जों (मशीनरी के अतिरिक्त पुर्जों सहित) का मूल्य लागत पर निर्धारित किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध परिष्कृत माल और परिष्कृत माल का मूल्य कम लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। लागतें परिष्कृत माल और अर्द्ध परिष्कृत माल की भारित औसत लागत पर आधारित होती हैं और इनका निर्धारण सामग्री, श्रम और संबंधित ऊपरी खर्च को ध्यान में रखकर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 “दीर्घावधिक निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी से भिन्न कमी का प्रावधान, ऐसे निवेशों की लागत को शामिल कर किया जाता है।

3.2 ‘चालू’ के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य संबंधी कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग रूप में किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टॉप जैसे अधिग्रहण के खर्च शामिल हैं।

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

5. स्थायी परिसंपत्तियां

5.1 स्थायी परिसंपत्तियां सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी जाती हैं। लेखांकन मानक 12 के अनुसार, ऐसे अनुदानों को पूंजीगत अनुदान समझा जाता है। परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के समय इनका अंकित मूल्य निकालकर परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में से अनुदानों को घटाया जाता है। जब अनुदान परिसंपत्ति की लागत के बराबर होता है तब परिसंपत्ति को 1/- रूपए के नाममात्र के मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

5.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियों को (कॉर्पस निधि से भिन्न) आरक्षित पूंजी के लिए तदनुरूपी क्रेडिट द्वारा निर्धारित मूल्य पर पूंजी में परिणत किया जाता है।

5.3 प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य, जिनके लिए पिछले वर्ष ₹29.43 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ था, चालू वर्ष में पूरे हो गए हैं। लेखांकन मानक 12 के अनुसार, जब अनुदान परिसंपत्ति की लागत के बराबर हो जाता है, तो परिसंपत्ति के पूंजीकरण के समय परिसंपत्ति के सकल मूल्य से अनुदान घटा दिया जाता है। परिसंपत्ति को तुलन पत्र में ₹1/- के अंकित मूल्य पर दर्शाया जाता है।

6. मूल्यहास

1.1 सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्ति पर कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता।

7. विविध खर्च

आस्थगित राजस्व व्यय को इसे वहन किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

8. बिघ्नी के लिए लेखांकन

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

9.1 परियोजना स्थापन की पूंजीगत लागत के लिए योगदान स्वरूप वाले सरकारी अनुदानों को आरक्षित पूंजी के रूप में माना जाता है।

9.2 अधिग्रहित की गई विशिष्ट स्थायी परिसंपत्ति संबंधी अनुदानों को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है।

9.3 सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता प्राप्ति के आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

9.4 चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के लिए अनुसूची संख्या 13 देखें। इसके अलावा, चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई गैर- आर्थिक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ।

10. विदेशी मुद्रा लेन देन

10.1 विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन, मुद्रा के लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर लेखांकित किए जाते हैं।

10.2 वर्तमान परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देनदारियों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। परिणामी लाभ/हानि को स्थायी परिसंपत्ति की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामले में राजस्व के लिए मानी जाती है।

11. पट्टा (लीज)

शून्य (पिछले वर्ष 1,05,21,362.00 रूपए) के लीज भुगतान चालू वर्ष के आय और व्यय लेखा में प्राप्त किए गए।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

- 12.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) स्टाफ की नियुक्ति “भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक कर्मचारी (पदों की संख्या एवं सेवा की शर्तें) नियमावली, 2011” के अनुसार केन्द्र सरकार/ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत कर्मिकों में से विशुद्ध रूप से प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा आधार पर करता है। ऐरा अपने कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस कारण से ऐरा की बहियों में ऐसे लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 12.2 कर्मचारियों के लिए संचित छुट्टी के नगदीकरण के लाभ की व्यवस्था की जाती है और इसका परिकलन प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ के आधार पर किया जाता है।

स्थान : नई दिल्ली

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का वित्तीय विवरण 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के खातों की अनुसूचियां

अनुसूची 25- आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं शून्य

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली में डीजीसीए, बीसीएस, एएआईबी और ऐरा के संयुक्त प्रचालनात्मक कार्यालयों के निर्माण के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धता के कारण ऐरा की हिस्सेदारी शून्य (पिछले वर्ष 29.43 करोड़ रूपए) है।

3. लीज दायित्व :
संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्त लीज व्यवस्थाओं के अंतर्गत किराए के लिए भावी दायित्वों की राशि शून्य रूपए है।

4. वर्तमान परिसंपत्ति ऋण और अग्रिम:
प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिमों का मूल्य कारोबार की सामान्य अवधि में प्राप्त किया जाने वाला मूल्य होता है और यह तुलन पत्र में दर्शाई गई कम से कम करार की गई राशि के बराबर होता है।

5. कराधान:
आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई भी आय कर योग्य नहीं है, इसलिए आयकर का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन चालू वर्ष पिछला वर्ष
- 6.1 सीआईएफ आधार पर परिकलित शून्य शून्य
 - आयातों का मूल्य
 - परिष्कृत माल की खरीद
 - कच्चा माल और उपस्कर
 - पूंजीगत माल
 - स्टोर, अतिरिक्त पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क) यात्रा	5,95,179.00	शून्य
ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज की अदायगी	शून्य	शून्य
ग) अन्य व्यय	शून्य	शून्य
- बिक्री पर कमीशन	शून्य	शून्य
- विधिक और व्यावसायिक खर्च	शून्य	शून्य
- विविध खर्च	शून्य	शून्य
- प्रशिक्षण खर्च (रूपए)	शून्य	रूपए 12,49,978.30

6.3 आय:

एफओबी पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य
---------------------------	-------	-------

6.4 सी एंड एजी लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक

लेखा परीक्षक के लिए	6,49,865.00	5,42,415.00
- कराधान मामले		
- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
- प्रमाणीकरण के लिए		
अन्य	शून्य	शून्य

7. पिछले वर्ष के तदनुसूची आंकड़ों का आवश्यकतानुसार पुनः समूह बनाया गया/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
8. वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष में न किए गए किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को खाता बहियों से हटा दिया गया।
9. 1 से 25 तक की अनुसूचियां दिनांक 31.3.2025 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय के खाते के अभिन्न भाग के रूप में संलग्न है।

स्थान : नई दिल्ली

नाम: सुयश नारायण

पदनाम: सचिव

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राय

राय

हमने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 35(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है। इनमें 31 मार्च, 2025 की वित्तीय स्थिति के विवरण और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/ प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां भी शामिल हैं।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखांकन पद्धतियों, लेखांकन मानकों और प्रकट करने संबंधी मानदंडों आदि के अनुरूप वर्गीकरण के संबंध में केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (औचित्य और नियमितता) और कार्य कुशलता तथा कार्य निष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियां अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से दी जाती हैं।

हमारी राय में, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के संलग्न वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियों तथा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च, 2025 तक की इस स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत खातों/लेखा मानकों के एकसमान प्रारूप के अनुसार उसके वित्तीय निष्पादन और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/नियम-पुस्तक/दिशा-निर्देशों/मार्ग-दर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के **वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों** वाले खंड में दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण का प्रबंधन भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों/एबी के लिए लागू खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने और इन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि किसी भी हालत में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई भी गलत विवरण न दिया जाए और वित्तीय विवरण सही रूप में तैयार किए जा सकें।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से रहित हैं। साथ ही लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें सीएजी के लेखा परीक्षा विनियमों/मानकों/नियम-पुस्तक/दिशा-निर्देशों/मार्ग-दर्शन-टिप्पणियों/आदेश/परिपत्रों आदि के अनुसार हमारी राय शामिल हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और
उनकी ओर से

ह/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अक्टूबर, 2025

(प्रमोद कुमार)
अपर उप लेखापरीक्षा महानिदेशक (अवसंरचना)
नई दिल्ली

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

क. तुलन पत्र

कॉर्पस/पूँजीगत निधि और देयताएं :

चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची -7) - ₹ 579.51 लाख रूपए

उपर्युक्त में ऐरा में कार्यरत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कर्मचारियों के वेतन के लिए मई, 2009 से मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए ₹ 9.56 करोड़ रूपए का प्रावधान शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधान तथा अन्य प्रशासनिक व्यय को ₹ 9.56 करोड़ रुपये तक कम बताया गया है।

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान भी इसी प्रकार की टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ख आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

i आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और प्राधिकरण के आकार एवं स्वरूप के अनुरूप है।

ii आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

2024-25 की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

iii स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

iv वस्तु सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

प्राधिकरण में कोई वस्तु सूची नहीं है।

v देय सांविधिक राशि की नियमित अदायगी

देय सांविधिक राशि समय पर अदा की गई।

ग सहायता अनुदान :

वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) को नागर विमानन मंत्रालय से कुल ₹ 22.20 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ। ऐरा के पास 1 अप्रैल, 2024 को अनुदान की ₹ 4.34 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष थी। इस ₹ 26.54 करोड़ रूपए के कुल अनुदान में से ऐरा 2024-25 के दौरान केवल ₹ 20.32 करोड़ रूपए ही खर्च कर सका और 31 मार्च, 2025 को ₹ 6.22 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि शेष बची (आंकड़े प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है)।



Annual Report 2024-25





Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA)

Annual Report 2024-25

1. Introduction

Consequent to the recommendations of the Shri Naresh Chandra Committee report for setting up an independent regulatory authority, the Government of India established Airports Economic Regulatory Authority (AERA) as a statutory body under the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 vide Government of India notification No GSR 317 (E) dated 12.05.2009 with its Head Office at New Delhi.

2. Profile of the Authority's key Officials

(a) Shri S.K.G. Rahate, Chairperson



Shri S.K.G. Rahate took over as Chairperson, Airports Economic Regulatory Authority of India on 14th May, 2024. Shri Rahate is an Indian Administrative Service (IAS) officer of the 1990 batch from the Jharkhand cadre. He holds a Bachelor of Engineering (BE) degree in Instrumentation and Control Engineering from the Pune University.

Shri Rahate has a distinguished career in the public service for more than three decades with wide ranging and diverse experience in public administration starting from District to State Secretariat and then to different Ministries/ Departments of Government of India (GoI). He worked as District Magistrate and Collector, Nawada, Bihar and Deputy Commissioner and Collector, West Singhbhum, Chaibasa, Jharkhand. Also, in the cadre he held the position of Principal Secretary, Energy; Principal Secretary, Labour & Employment and Home Secretary, Jharkhand. In Government of India, he worked as Director, MHA; Director, Rural Development; Joint Secretary, Ministry of Agriculture; Financial Commissioner, ESIC, Ministry of Labour & Employment; Additional Secretary, Ministry of Power and finally Secretary, Department of Justice, Ministry of Law & Justice before superannuating from the Government Service on 30th April, 2024.

Shri Rahate has worked at the level of programme implementation and development/ welfare administration at the Sub District/ District level as well as at the level of scheme conceptualization, formulation and monitoring at the State Government/ Government of India level and, thereafter, worked at the policy formulation level in the Ministries of Agriculture/ Power/ Justice, Government of India. He has good experience of infrastructure departments as well as corporate functioning of various PSUs like DVC, Power Grid, NHPC, REC, PFC, National Seeds Corporation, Coconut Development Board where he was a member of the Board of Directors. As far as regulatory issues are concerned, he has closely seen the functioning of SERC, CERC and APTEL for various regulatory related issues and appeals of DISCOMs/ GENCOs/ TRANSCO/ SERCs.

(b) Shri Dharmendra Kumar Kamra (IAP), Member

Mr. D. K. Kamra, is an Engineering Graduate with Post Graduate diploma in Construction Management & MBA. Mr. Kamra has completed Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP), conferred with IAP (International Airport Professional) by Airport Council International (ACI) in association with ICAO. He has successfully completed Professional Courses in “PPP mode of Airport development” conducted by Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad, Advance Management Programme on Senior Management development conducted by Management Development Institute (MDI) and Frankfurt Institute of Management, Germany.

After serving Private Sector for 5 years and NDDDB (NDRI) for 4 years, Mr. Kamra joined AAI in 1994. He was actively involved in implementation of 35 + 20 non-metro AAI Airport Development, and was actively involved in design of Airfield Pavements as well. With his rich Project Planning & Implementation experience, he has earned many accolades in construction industry. After Planning and Implementing Chandigarh International & Jammu Airport terminals (both rated as GRIHA-IV Star by Ministry of Renewable Energy, Government of India), he was awarded CIDC Vishwakarma Award 2016 (Best Construction Project), SKOCH BSE Order of Merit & SKOTCH BSE Award by Bombay Stock Exchange, Indian Building Congress (IBC) award for excellence in Built Environment 2014-15, and Smart Building Award 2016 by Network 18 and Honeywell.

As Executive Director since 2017 in AAI, his contributions were:

- a) As Executive Director North Eastern Region 2017-2019, he was awarded with CHAIRMAN's Excellence Award 2018 by Chairman, AAI for doing turnaround of the entire North-East Region to develop Airfield infrastructure, Cargo etc. Subsequently, he was also awarded with CIDC-2019 Vishwakarma Award in Public Servant category.
- b) As ED (JVC & Tariff), was responsible for planning to implement tariff revision for 83 non-major Airport (2019-20), revision of ANS charges for all Indian Airports in addition to tariff determination of AAI owned Major Airports.
- c) As Regional ED (NR) he was awarded CHAMPION OF UDAN on 22.11.2021 by Hon'ble Minister of Civil Aviation for RCS Airport Development in NR & NER. He was responsible for development of Kushinagar, Gorakhpur, Dehradun Airports development in addition to 35 NR Airports including Ayodhya and 08 RCS Airports of UP.

Mr. Kamra has represented Airports Authority of India, on the boards of the Chandigarh International Airport Limited (CHIAL), a joint venture company of AAI & State Governments of Haryana and Punjab & Ludhiana International Airport Limited (LIAL) and BIS (Bureau of Indian Standards).

(c) Smt. V. Vidya, Member



Smt. V. Vidya took over as Member, Airports Economic Regulatory Authority of India on 10th May, 2024

Ms. V. Vidya holds a Postgraduate Degree in Commerce from Bangalore University and is a Cost Accountant from the Institute of Cost & Works Accountants of India


Ms. V. Vidya has a rich experience of 34 years in Airports Authority of India, handling the entire gamut of finance and accounts functions across many Airports / Regional Headquarters / Corporate Headquarters of Airports Authority of India.

Prior to joining AERA, she held the post of Executive Director (Finance) at the Corporate Headquarters of Airports Authority of India and was in charge of the Joint Venture Cell and Tariff Regulatory Cell of AAI. She was AAI's representative on the Boards of DIAL, MIAL, DIACL and AAICLAS.

Ms. V. Vidya has completed Airport Management Professional Accreditation Programme (AMPAP), conferred with IAP (International Airport Professional) by Airport Council International (ACI) in association with International Civil Aviation Organization (ICAO). She has been a part of various Working Groups of the ICAO and has also submitted a Working Paper at the 39th Session of ICAO Assembly, on the non-economic viability of the airports and cross - subsidization. She is also a Committee Member of the ACI-Asia Pacific Economics Committee.

3. Organisational structure

Organization structure of the Authority is given below:



AERA's staff comprises of officials with diverse experience in the aviation and finance sector, who have been taken on deputation from various Central, State Government departments/ organizations. At the end of the period of this Annual Report, AERA had a total strength of 26 employees including Chairperson, Members & Secretary.

4. Scope of the Regulatory Authority

As per the AERA Act, the primary function of AERA is to regulate tariff and other charges for the aeronautical services rendered, and to monitor performance standards at major airports. The Authority finalized its regulatory philosophy and guidelines in 2010-11 for determining the Aeronautical tariff of Airport Operators and Independent Service Providers of Cargo Facility, Ground Handling, and Supply of Fuel to the Aircraft.

4.1. The main functions of the Authority are as under:

- To determine the tariff for the aeronautical services
- To determine the amount of Development Fees in respect of major airports
- To determine the amount of PSF levied under rule 88 of the Aircraft Rules, 1937 made under the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934)
- To monitor the set performance standards relating to quality, continuity and reliability of service as may be specified by Central Government or any Authority authorized by it in this behalf.
- During FY 2019-20, Clause (i) of Section 2 of the AERA Act, 2008, was amended vide Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2019, to enhance the minimum threshold for annual passenger throughput for major airport from “one and half million” to “three and half million”. Further, during the FY 2021-22, the said clause was again amended vide the Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2021, to expand the scope of the term “Major airports”, by including “group of airports” in it.

4.2. As on 31.03.2025, 34 airports fall under the ambit of 'Major Airport' as per the relevant provisions of AERA Act 2008 (read with subsequent amendments of 2019 and 2021) and as notified by Ministry of Civil Aviation. List of the same is given hereunder:

1. Indira Gandhi International Airport, Delhi
2. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai
3. Kempegowda International Airport, Bengaluru
4. Rajiv Gandhi international Airport, Hyderabad
5. Cochin International Airport, Kochi
6. Chandigarh International Airport, Chandigarh
7. Chennai International Airport, Chennai
8. Netaji Subhas Chandra Bose International Airport, Kolkata
9. Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad
10. Trivandrum International Airport, Thiruvananthapuram
11. Chaudhary Charan Singh International Airport, Lucknow
12. Jaipur International Airport, Jaipur
13. Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati
14. Calicut International Airport, Kozhikode

15. Goa International Airport, Dabolim, Goa
16. Pune International Airport, Pune
17. Jay Prakash Narayan International Airport, Patna
18. Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar
19. Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi
20. Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar
21. Swami Vivekananda Airport, Raipur
22. Tiruchirappalli International Airport, Tiruchirappalli
23. Mangalore International Airport, Mangaluru
24. Kannur International Airport, Kannur
25. Sheikh Ul Alam International Airport, Srinagar
26. Shirdi International Airport, Shirdi
27. Manohar International Airport, MoPA, Goa
28. Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Indore
29. Coimbatore International Airport, Coimbatore
30. Noida International Airport, Jewar
31. Veer Savarkar International Airport, Port Blair
32. Navi Mumbai International Airport, Navi Mumbai
33. Jolly Grant Airport, Dehradun
34. Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, Nagpur

Key Highlights:

5. During the period from 1st April, 2024 to 31st March 2025, AERA has issued the following Tariff Orders in respect of determination of tariff for Aeronautical Services:

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
<u>Airport Tariff Orders</u>			
1.	Order No. 02/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Thiruvananthapuram International Airport, Thiruvananthapuram (TRV) for the Third Control Period (01st April, 2022 to 31st March, 2027).	21.06.2024
2.	Order No. 03/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Jaipur International Airport, Jaipur (JAI) for the Third Control Period (01.04.2022 to 31.03.2027).	12.07.2024
3.	Order No. 06/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Shirdi International Airport, Shirdi (SAG) for the First Control Period (01st April, 2022 to 31st March, 2027).	27.08.2024
4.	Order No. 07/2024-25	Determination of Aeronautical Tariffs for Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport, Guwahati (GAU) for the Third Control Period (01.04.2022 - 31.03.2027).	06.09.2024

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
5.	Order No. 08/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Coimbatore International Airport, Coimbatore (CJB) for the Second Control Period (01.04.2023 - 31.03.2028).	09.09.2024
6.	Order No. 13/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Indore International Airport, Indore (IDR) for the Second Control Period (01.04.2023 - 31.03.2028).	08.11.2024
7.	Order No. 16/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi (VNS) for the Second Control Period (01.04.2024 - 31.03.2029).	01.03.2025
8.	Order No. 17/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar (ATQ) for the Second Control Period (01.04.2024 - 31.03.2029).	21.03.2025
9.	Order No. 20/2024-25	Determination of Aeronautical Tariff for Indira Gandhi International Airport, Delhi (DEL) for the Fourth Control Period (01.04.2024 - 31.03.2029).	28.03.2025
<u>Ad-hoc Orders for Independent Service Providers</u>			
10.	Order No. 01/2024-25	Determination of Ad-hoc Tariff for Cargo Handling Services for M/s AI Airport Services Limited (AIASL) at Chennai International Airport w.e.f. 10.06.2024 up to 31.03.2025.	05.06.2024
11.	Order No. 05/2024-25	Determination for Ad-hoc tariff for handling Express Courier Cargo to Air India SATS Airports Services Private Limited at Kempegowda International Airport, Bengaluru.	19.08.2024
12.	Order No. 11/2024-25	Determination of Ad-hoc tariff in respect of Center for Perishable and General Cargo (CPC) for GSEC Limited at Sardar Vallabhbhai Patel International Airport (SVPIA), Ahmedabad.	30.09.2024
13.	Order No. 14/2024-25	Determination of Ad-hoc Tariff for Cargo Handling Services provided by M/s AAICLAS at three Major Airports namely Indore, Coimbatore and Port Blair.	22.11.2024
14.	Order No. 15/2024-25	Determination of Ad-hoc Tariff for the Domestic Cargo Handling Services to be provided by M/s Aroon Aviation Services Pvt. Ltd. at Srinagar International Airport, Srinagar.	31.01.2025

Sl. No.	Order Number	Subject	Date of Issue
<u>Orders for Interim extension of Tariff validity</u>			
15.	Order No. 04/2024-25	Extension of Prevailing tariff (as on 30.10.2024) for M/s Indian Oil Skytanking Private Limited (IOSPL) providing Into Plane Services at CSMIA, Mumbai for the remaining period of Third Control Period i.e. 31.10.2024 to 31.03.2026.	14.08.2024
16.	Order No. 09/2024-25	Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs till 31.03.2025.	24.09.2024
17.	Order No. 10/2024-25	Interim arrangement to levy the existing tariffs in respect of Cargo Facility, Ground Handling and Supply of fuel to the Aircraft provided by the Independent Service Providers for further period up to 31.03.2025.	26.09.2024
18.	Order No. 18/2024-25	Interim arrangement to continue the levy of existing tariffs till 30.06.2025/ 30.09.2025.	24.03.2025
19.	Order No. 19/2024-25	Interim arrangement to levy the existing tariffs in respect of Cargo Facility, Ground Handling and Supply of Fuel to the Aircraft (CGF) Services provided by the Independent Service Providers for further period up to 30.09.2025.	28.03.2025
<u>Other Order</u>			
20.	Order No. 12/2024-25	Declaration of Jolly Grant Airport, Dehradun (DED) as a 'major airport' under section 2(i) of Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 (AERA Act, 2008).	25.10.2024

6. Performance Standards

Section 51 of the AERA Act, 2008, inter-alia, stipulates that the Central Government will make rules pertaining to performance standards relating to quality, continuity and reliability of service. Further as per Section 13(1) of the AERA Act, 2008, one of the functions of Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) is to monitor such set performance standards as specified by the Central Government besides determining tariffs for aeronautical services rendered at the Major Airports.

Presently, performance standards for Major Airports including objective and subjective parameters have been prescribed in AERA's Tariff Guidelines issued in 2011. However, the National Civil Aviation Policy, 2016 has prescribed the performance parameters for airports operated by AAI mentioning inter-alia that AAI will maintain an ASQ rating of 4.5 or more across all airports which have a throughput above 1.5 MPPA (revised to 3.5 MPPA as per amendment to AERA Act in 2019). In respect of PPP/ JV /Private Airports, the performance standards have also been prescribed in their respective Concession Agreements/ OMDA. Accordingly, the subjective service quality standards are being measured on the basis of ASQ (Airport Service Quality) ratings given by third party rating agencies such as ACI (Airports Council International) and Sky Trax etc. The objective service quality standards at the PPP/ JV/Private airports are being monitored by the respective concessioning authorities as per the relevant provisions of their Concession Agreements/ OMDA. Thus, the present framework of performance standards across major airports is not uniform and the overall framework is quite diffused.

Considering the above, and also in view of the fact that the airport sector in the last few years has undergone significant growth with enhanced passenger expectations and new technological interventions for passenger's conveniences like Digi Yatra, Self-Baggage Drop, etc, the Ministry of Civil of Aviation decided that performance standards across all airports need to be uniform. Accordingly, the Ministry of Civil Aviation asked Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) to identify and formulate a fresh set of uniform performance standards for Major Airports, which can then be notified by the Ministry as per the provisions of AERA Act, 2008.

AERA has accordingly initiated the process for identifying and formulating a uniform set of performance standards relating to quality, continuity, and reliability of service at the airports, and has also appointed an independent consultant to assist it in this regard. The consultant has undertaken study and analysis of international benchmarks, ICAO and IATA standards, concession agreements of various airports, and also conducted airport site visits to understand and analyze the service quality related issues. Multiple rounds of discussions have also been held with the representatives of Ministry of Civil Aviation and other Government agencies like DGCA, BCAS, etc., to obtain their comments and gain perspectives in this regard and the work is in progress.

7. Court Cases

As on 31.03.2025, Forty-Nine (49) cases are pending in the various Courts/ Tribunals wherein AERA is arrayed either as Appellant or Respondent. During the year 2024-25, Seven (07) new cases (Hon'ble TDSAT-05, and Hon'ble Supreme Court – 02) were filed either by AERA or the other party.

Further during the period, One SLP and Two Review Petition were filed by AERA before the

Hon'ble Supreme Court, and the Supreme Court has disposed off the SLP and the Review Petitions. One Contempt Petition was disposed off by the Hon'ble Kerala High Court and One Industrial Dispute matter was disposed off by Central District Court Delhi. The details of pending cases as on 31.03.2025 are as under:

Sl. No.	Court/Tribunal	No. of cases
1	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)	30
2	Supreme Court of India	16
3	High Court of Delhi	01
4	Rajasthan High Court	01
5.	Bombay High Court	01
	Total cases	49

8. Administrative & Establishment matters

(a) Organization of Special Campaign for disposal of pending matters and cleanliness and other activities:

As per directions received from MoCA, Special Campaign for disposal of pending matters and cleanliness was observed in the Authority during 2nd Oct 2024 to 31st Oct 2024. During the Special Campaign, AERA Office and its surroundings were cleaned and beautified. Further, weekly Special Drives were conducted, during which all officials reviewed the files and documents that were no longer relevant and segregated the same for weeding out, and cleaned respective workplaces & drawers etc.

Following other major activities were conducted in AERA:

Sl. No.	Name of the activity/ occasion	Activity Conducted	Date
1.	Celebration of International Yoga Day	Celebration of 10th International Yoga Day - 2024 on 21st June, 2024, by organizing a Yoga Camp at flying club AAIOI, Safdarjung Airport, New Delhi.	21.06.2024
2.	Vigilance Awareness Campaign - 2024	Vigilance Awareness campaign was organized wherein various activities like poster making competition, Essay Competition and Integrity Pledge were conducted with the employees of AERA.	16.08.2024 to 15.11.2024
3.	Hindi Pakhwada	Hindi Pakhwada was celebrated wherein various competitions and activities related to Hindi like Vocabulary, Essay, Typing, Speech, Question Forum, Poetry Recitation were organized.	14.09.2024 to 30.09.2024

Sl. No.	Name of the activity/ occasion	Activity Conducted	Date
4.	Special Campaign 4.0	Special Campaign 4.0 including swachhta pakhwada was organized wherein work place, cupboards, file racks, water tanks and AERA's nearby place like parking and road areas were cleaned. Old records and papers were weeded out, and various competitions such as painting, quiz, essay writing etc. were organized.	02.10.2024 to 31.10.2024
5.	Constitution Day	Constitution Day was Celebrated and a workshop on Indian Constitution was organized.	26.11.2024
6.	Awareness and Sensitization on "Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition and redressal) Act, 2013"	A workshop on the said Act was organized in which experts addressed the staff and officers of AERA, and elaborated and explained the various provisions and safeguards provided in the Act	17.12.2024
7.	International Women's Day	International Women's Day was celebrated, and a Lecture was organized on the topic of "Women's health issues".	10.03.2025
8.	Various activities pertaining to personal wellbeing, health and capacity development	Lecture on the topic "Eyes and Our health", and on the topic "Recognizing and Developing your Potential"	30.05.2024 22.01.2025

(b) Implementation of Official Language Policy of Government

All out efforts were made for implementation of the Official Language Policy of the Government in AERA. In order to encourage staff for doing official work in Hindi, various lectures and talks on different topics like motivation, employee's well-being etc. were organised in the office.

Hindi fortnight was organised from 14-30 September, 2024 during which various Hindi competitions were organized. About 132 Officials participated with great zeal and enthusiasm, and winners were awarded with a cash prize and merit certificate. During this period, Hindi section conducted inspection of different sections of the Authority regarding the work of Official Language. Review of AERA website was also done to ensure updation of Hindi material on the website.

Nine (09) officials from the Authority participated in the All-India level Hindi conference organised from 14-15 September, 2024 by the Department of Official Language at Bharat Mandapam, New Delhi. Four (04) personnel participated in joint regional conference on Official Language and Prize Distribution Ceremony organised by the Department of Official Language in Jaipur (Rajasthan). Seven (07) Hindi workshops for officials were organized in which a total 300 officials participated during the year.

Quarterly Meetings of the official language implementation committee chaired by the Chairperson, AERA, were held regularly. Incentive scheme of Government of India for the promotion of Rajbhasha has been implemented in the Authority to motivate the officials for doing their maximum work in Hindi. Cash Prizes amounting to a total of Rs. 45,000/- and citation certificates were awarded to the Thirteen (13) officials who emerged as winners in these schemes during the year.

Ministry of Civil Aviation had also conducted inspection of AERA on 06th June, 2024 regarding the implementation of Official Language Policy, and have appreciated AERA for the work done in this regard.

(c) Women Welfare including Gender Budgetary Data

AERA has 28 Women employees (including staff on loan basis from AAI, and support staff working on outsourced basis), for whom suitable welfare measures have been undertaken, like provision of transport/ vehicle for pick up/ drop at home in case of medical emergency or early arrival/ late departure from office due to official exigencies of work, organization of a general talk on sexual harassment of women at workplace, dedicated female housekeeping staff for female washrooms etc.

(d) Public Grievance Redressal Machinery

The Authority is registered with the Central Public Grievances portal of the Department of Administrative Reforms & Public Grievances and grievances are addressed within the stipulated time.

(e) Pollution Control

The Authority encourages and accordingly incentivises the airports during the tariff determination process for environmentally friendly measures undertaken by them. These broadly include use of solar/ renewable energy, rain water harvesting, recycling of water through treatment plant etc.

(f) SC/ST and OBC representation as on 31.03.2025.

The Authority recruits officers & staff of AERA on deputation basis only and, hence, reservation policy is not directly applicable. However, officers and staff of AERA have sufficient representation of SC, ST and OBC categories.

(g) Facilities for differently abled persons.

During the period, AERA has shifted its office to Udaan Bhawan, the newly constructed combined office building for AERA, AAIB, BCAS, DGCA and AAI, at Safdarjung Airport premises, where lifts are installed, ramps are available, and separate washrooms are also available for accessibility of the differently abled persons. AERA Website is also friendly for them.

(h) Major Achievements

At the beginning of the FY 2024-25, there were 30 Major Airports and 4 additional airports were added in the list of Major Airports, during the FY 2024 - 2025, making a total of Major Airports as 34 at the end of the FY 2024-25.

During the period of this report i.e. 1st April, 2024 to 31st March, 2025, a total of 20 tariff orders were issued by AERA for different Airport Operators and Independent Service Providers as enumerated below:

(i)	Tariff Orders issued for Airport Operators	-	09
(ii)	Ad-hoc Orders for Independent Service Providers	-	05
(iii)	Orders for Interim extension of Tariff validity	-	05
(iv)	Other Orders	-	01

In order to cater to the growing need of increasing passenger traffic and to improve the service delivery, AERA as part of Tariff Determination process had allowed a total Capex investment of Rs. 12678 crores through the aforementioned tariff orders for various airports for the development, improvement, and expansion of airport including airside and passenger terminal buildings, etc. in order to cater to the growth of the passenger traffic in the coming years.

During the year, following key initiatives have also been launched by AERA:-

1.) **Proposal for amendments to AERA Act**

With increase in the numbers of major airports including PPP/JV/Leased Airports and the dynamic nature of the airports ecosystem, new issues are emerging in the economic regulation of the airports thereby necessitating the strengthening of the various provisions of the prevalent AERA Act, 2008 so as to address the increasing complexities of tariff determination exercise and also to reduce the scope of ambiguous interpretation of different existing provisions of the Act that are resulting in unnecessary litigations. For this, AERA has undertaken the exercise of re-visiting the various relevant provisions of the AERA Act, 2008 based on which draft amendments to the AERA Act, 2008 have been formulated and submitted to the Ministry of Civil Aviation.

2.) **Identifying and formulating fresh set of Performance Standards:**

Considering that the present framework of performance standards is diffused and not uniform across the airports, and significant changes have taken place in the airport sector over the past decade like enhanced passenger expectations, increased passenger traffic, etc, the Ministry of Civil Aviation has decided that AERA may undertake the exercise of identifying and formulating a fresh set of uniform performance standards relating to quality, continuity and reliability of services at the airports, which will be applicable across all the major airports. Accordingly, AERA has initiated the process of identifying and formulating a fresh set of performance standards for Major Airports for subsequent notification by the Ministry of Civil Aviation under the extant provisions of the AERA Act, 2008.

3.) **Revision of AERA Tariff Guidelines, 2011:**

AERA Guidelines for Tariff Determination were issued in 2011. With the passage of time, airport ecosystem has undergone major changes with exponential growth in passenger traffic and a large-scale capital investment for augmentations/expansion of existing airports, and establishment of new airports, thereby posing new issues in the economic regulation framework of airports. In the said background, a

need has been felt for a comprehensive review and revision of the existing tariff guidelines to address the present-day regulatory requirements.

Accordingly, AERA has initiated the exercise of a comprehensive review and revision of its tariff determination guidelines to strengthen its methodological rigour and enhance operational efficiency. The revised guidelines will focus on better cost optimization and efficiency across the regulatory building blocks and more practical apportionment of airport charges including UDF, while ensuring equitable outcomes for all stakeholders.

9. Budget

Funding structure

AERA receives its funding through Grants-in-Aid from the Government. During FY 2024-25, a sum of Rs. 22.20 crores were received by AERA through the Ministry of Civil Aviation. AERA does not levy or collect any fee / charges for its services or discharge of its functions.

10. Regulatory Advocacy and protection of interest of users

AERA officials regularly participate in the seminars and workshops for furthering and gaining updates on the regulatory good practices, issues and challenges in the infrastructure regulatory sector.

AERA is also a member of the Forum of Indian Regulators and regularly participates in its activities to keep abreast with the developments in other Regulatory sectors. Further, AERA is also a member of South Asia Forum of Infrastructure Regulators (SAFIR).

AERA follows a fully transparent and structured tariff determination process. The tariff proposals submitted by the Airport Operators are placed in the public domain by way of a Consultation Paper through AERA's website, along with issuance of public notices in leading national newspapers. All stakeholders i.e Airport Operators, Airlines, Service Providers, Association of passengers, etc. are invited to provide verbal and written submissions and to participate in stakeholder consultation meetings conducted in hybrid mode. The airport operator is then required to submit counter comments on the views received from all the stakeholders. The complete set of documents i.e. stakeholder comments and the operator's counter-comments, is made available on AERA's website.

Thereafter, the Authority evaluates all inputs on merits, and determines the tariff in a balanced manner, ensuring fair consideration of the interests of all stakeholders. The final tariff order, containing detailed reasoning and the basis for every decision, is published on AERA's website, thereby ensuring complete transparency in the tariff determination process.

11. Capacity Building

The Authority encourages and nominates its officers and staff for participation in various Training Programmes/ Seminars/ Workshops relevant to functioning of the Authority. Workshops were also conducted on Ethics and Governance on 23.10.2024 and Code of Conduct on 06.11.2024 by AERA.

AERA with the approval of MoCA, has entered into an MoU with IATA (International Air Transport Association) for training of AERA officials in various relevant fields of Aviation like Airport Financial Management, Airport Development and Infrastructure Design, etc.


12. Accounts & Audit

Income & Expenditure Account for the FY 2024-25 and Balance Sheet as on March 31, 2025 are enclosed.





Annual Statement of Accounts 2024-25





FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

(AMOUNT Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Corpus/capital fund	1	1,02,56,777.09	-3,15,10,632.91
Reserves and surplus	2	-	-
Earmarked / endowment fund	3	-	29,43,00,000.00
Secured loans borrowings	4		
Unsecured loans borrowings	5		
Deferred credit liabilities	6		
Current liabilities and provisions	7	5,79,51,077.00	5,63,76,896.00
TOTAL		6,82,07,854.09	31,91,66,263.09
ASSETS			
Fixed assets	8	289.00	26,96,00,335.00
Investment-form earmarked/endowment funds	9		
Investment-others	10		
Current assets, loans, advances etc.	11	6,82,07,565.09	4,95,65,928.09
Miscellaneous expenditure (To the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		6,82,07,854.09	31,91,66,263.09
Significant accounting policies	24		
Contingent liabilities and notes on accounts	25		

For A Arora & Co
Chartered Accountant
FRN:023066N

On behalf of management of
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA



CA Ashish Arora
Partner
MRN:515393



Date
Place:Delhi



NAME: Suyash Narain
DESIGNATION: SECRETARY

DATE:
सुयश नारायण / SUYASH NARAIN


सचिव / Secretary
भारतीय विमानन अर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURES ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025**

(AMOUNT Rs)

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from sales/ services	12	-	-
Grant/subsidies	13	22,20,00,000.00	16,09,66,095.00
Fees/subscriptions	14	-	-
Income from investments	15	-	-
(Income on invest. From earmarked/endowment fund Transferred to fund)			
Income from royalty, publication etc.	16	-	-
Interest earned	17	-	-
Other income	18	15,214.00	2,75,106.00
Increased/(decreased) in stock of finished goods and work in progress	19	-	-
TOTAL (A)		22,20,15,214.00	16,12,41,201.00
EXPENDITURES			
Establishment expenses	20	7,02,25,406.00	7,16,36,174.00
Other administrative expenses etc.	21	10,95,31,653.00	9,78,97,443.30
Depreciation	8	-	-
Expenditures on grants and subsidies	22	-	-
Interest	23	-	-
Expenses incurred on fixed assets		4,90,745.00	
TOTAL (B)		18,02,47,804.00	16,95,33,617.30
Balance being excess of income over Expenditures (A-B)		4,17,67,410.00	-82,92,416.30
Transfer to Special Reverse (Specify each)			-
Transfer to /from General Reverse			-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT)CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		4,17,67,410.00	-82,92,416.30
Significant accounting policies	24		
Contingent liabilities and notes on accounts	25		

On behalf of management of
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA


NAME: Suyash Narain
DESIGNATION: SECRETARY
DATE:

सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

	RECEIPTS		PAYMENTS		[AMOUNT IN ₹]	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	EXPENSES	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
II. OPENING BALANCES			a) Establishment Expenses (corresponding to schedule 20)		6,29,52,317.00	5,95,22,279.00
a) Cash in hand	-	-	b) Administrative Expenses (corresponding to schedule 21)		9,88,52,782.00	8,99,66,012.30
b) Bank Balance (Schedule 11)	4,51,47,064.09	24,87,633.39	Advance Payment to Vendors/Employees		-	-
c) In current accounts	29,99,998.00	2,28,75,874.00	Interest paid to ministry		15,07,344.00	-
d) In deposit accounts	-	-			-	-
e) In saving accounts	-	-			-	-
III. GRANTS RECEIVED			III. PAYMENTS MADE AGAINST FUNDS FOR VARIOUS PROJECTS			
a) From Government of India- Revenue (Schedule 13)	22,20,00,000.00	16,45,00,000.00	(Name of the fund for project should be shown along with the particulars of payments made for each project)			
b) From Government of India - Capital (Schedule 13)	-	13,43,00,000.00				
c) From Other Sources (details)	-	-				
(grant for capital & revenue exp to be show separately)						
III. INCOME ON INVESTMENT FROM			III. INVESTMENTS AND DEPOSITS MADE			
a) F earmarked/Endow Funds			a) Out of Earmarked/Endowment funds			
b) Own fund (other investment)			b) Out of Own Funds (Investment Other)			
IV. INTEREST RECEIVED			IV. EXPENDITURES ON FIXED ASSETS & CAPITAL WORK IN PROGRESS			
a) On Bank Deposits	34,21,578.00	15,48,225.00	a) Purchase of fixed Assets		4,90,745.00	35,33,905.00
b) loan Advance etc.	-	-	b) Expenditure on Capital Work in Progress		2,47,00,000.00	10,96,00,000.00
V. OTHER INCOME (Schedule 18)			V. REFUND OF SURPLUS MONEY/LOANS			
VI. AMOUNT BORROWED			a) Purchase of Fixed Assets			
VII. ANY OTHER RECEIPTS			b) To the State Government			
EMD/Security Deposit	37,450.00	24,00,000.00	c) To the Other providers of fund			
Other Receipt	14,944.00	20.00	VI. FINANCE CHARGES			
VIII. CLOSING BALANCES			VII. OTHER PAYMENTS (SPECIFY)			
a) Cash in hand			a) Duties and Taxes		1,55,11,891.00	1,59,80,480.00
b) Bank Balances (Schedule 11)			b) Security Deposit & EMD Refund		8,00,000.00	13,62,000.00
i. In current accounts			VIII. CLOSING BALANCES			
ii. In deposit accounts			a) Cash in hand			
iii. In saving Accounts			b) Bank Balances (Schedule 11)			
			i. In current accounts		6,63,05,956.09	4,51,47,064.09
			ii. In deposit accounts		14,99,999.00	29,99,998.00
			iii. In saving Accounts		-	-
TOTAL	27,36,21,034.09	32,81,11,792.98			27,36,21,034.09	32,81,11,792.99

On behalf of management of
AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NAME: Suyash Narain
DESIGNATION: SECRETARY
DATE:

सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

भारत विमानन विभाग
Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

(Amount Rs)


SCHEDULE 1: CORPUS/CAPITAL FUND	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Balances as at the beginning of the year		-3,15,10,632.91	-2,32,18,216.61
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund			-
Add: Balances of net income/ expenditures transferred from the income and expenditures Account		4,17,67,410.00	-82,92,416.30
BALANCE AT THE YEAR END		1,02,56,777.09	-3,15,10,632.91

(Amount Rs)

SCHEDULE 2- REVERSE AND SURPLUS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. CAPITAL RESERVE			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
2. Revaluation Reserve			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
3. SPECIAL RESERVE			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
4. GENERAL RESERVE			
As per last Account		-	-
Addition during the year		-	-
Less: Deduction during the year		-	-
TOTAL		-	-

(Amount Rs)

SCHEDULE 3 - EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Opening Balance of the Funds		29,43,00,000.00	16,00,00,000.00
b) Additions to the Funds		-	13,43,00,000.00
i) Donations/Grants		-	-
ii) Income from Investments made on account of funds		-	-
iii) Other additions		-	-
TOTAL (A+B)		29,43,00,000.00	29,43,00,000.00
c) Utilisation of Funds			
i) Capital Expenditure		29,43,00,000.00	-
Courpus Fund		-	-
Others		-	-
Total		-	-
ii) Revenue Expenditure			
Salaries, Wages and allowances etc.		-	-
Rent		-	-
Other Administrative expenses Total		-	-
Total		-	-
TOTAL ©		29,43,00,000.00	-
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)		-	29,43,00,000.00


सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
 सचिव / Secretary
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
 Airports Economic Regulatory Authority of India
 आगरा विमानन मंत्रालय
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

(AMOUNT Rs)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions			
a) Terms Loans		-	-
b) Interest accrued and due		-	-
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	-
Interest accrued and due		-	-
b) Other Loans (Specify) Interest accrued and due		-	-
5. Other Institutions and agencies		-	-
6. Debentures and bonds		-	-
7. Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government		-	-
2. State Government (Specify)		-	-
3. Financial Institutions		-	-
4. Banks :			
a) Terms Loans		-	-
b) Other Loans (Specify)		-	-
5. Other Institutions and agencies		-	-
6. Debentures and bonds		-	-
7. Fixed Deposits		-	-
8. Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-

Note : Amount due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets		-	-
b) Others		-	-
TOTAL		-	-



सुयश नारायण / SUYASH NARAIN

सचिव / Secretary

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025**

(AMOUNT RS)

SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A) CURRENT LIABILITIES			
1. Acceptances		-	-
2. Sundry Creditors :			
a) For Goods		-	-
b) Others	1	-	-
3. Advances Received		-	-
4. Interest accrued but not due on :			
a) Secured Loans/ borrowings		-	-
b) Unsecured Loans/ borrowings		-	-
5. Statutory Liabilities :			
a) Over due		-	-
b) Others	2	1,84,822.00	1,16,760.00
6. Other Current Liabilities	3	41,58,305.00	35,22,801.00
7. Deferred Grant Income (Refer Foot Note)		-	314.00
TOTAL (A)		43,43,127.00	36,39,875.00
B) PROVISIONS			
1. For Taxation		-	-
2. Gratuity		-	-
3. Superannuation/Pension		-	-
4. Accumulated Leave Encashment		-	-
5. Trade Warranties/Claims		-	-
6. Other	4	5,36,07,950.00	5,27,37,021.00
TOTAL (B)		5,36,07,950.00	5,27,37,021.00
TOTAL (A+B)		5,79,51,077.00	5,63,76,896.00

Foot Note:

Opening balance at the beginning of the year	314.00	252.00
Grant received during the year	4,94,615.00	35,33,967.00
Grant amortized during the year & netted off with the Fixed Assets	4,94,627.00	35,33,905.00
Transfer to Income and Expenditure	302.00	-
Closing balance at the end of the year	-	314.00



सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
 सचिव / Secretary
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
 Airports Economic Regulatory Authority of India
 नागर विमानन मंत्रालय
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

Schedule -8

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
	COST/VALUATION AS AT BEGINNING OF THE YEAR	ADDITIONS DURING THE YEAR	DEDUCTION DURING THE YEAR	COST/VALUATION AT THE END YEAR	AS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	ON ADDITIONS DURING THE YEAR	ON DEDUCTION DURING THE YEAR	TOTAL UPTO THE YEAR END	AS AT THE CURRENT YEAR	AS AT THE PREVIOUS YEAR END
A. FIXED ASSETS										
1. LAND										
a) Freehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. BUILDINGS										
a) On Freehold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) On Leasehold Land	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
c) Ownership Flats/Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Superstructures on Land not belonging to the entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Plant machinery & equipment	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00
4. Vehicles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Furniture, fixtures	11.00	-	1.00	10.00	-	-	-	-	10.00	11.00
6. Office equipment	70.00	-	-	70.00	-	-	-	-	70.00	70.00
7. computer/peripherals	219.00	5.00	50.00	174.00	-	-	-	-	174.00	219.00
8. Electric installations	33.00	-	-	33.00	-	-	-	-	33.00	33.00
9. Library books	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Tubewells & w.supply	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Other fixed assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total of current year -a	335.00	6.00	52.00	289.00	-	-	-	-	289.00	335.00
Previous year	273.00	62.00	-	335.00	-	-	-	-	335.00	273.00
B.capital work in-progress	26,96,00,000.00	2,47,00,000.00	29,43,00,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Total of current year -b	26,96,00,000.00	2,47,00,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Previous year	16,00,00,000.00	10,96,00,000.00	-	26,96,00,000.00	-	-	-	-	26,96,00,000.00	-
Total of current year -c=(a+b)	26,96,00,335.00	2,47,00,006.00	-	289.00	-	-	-	-	289.00	289.00
Previous year	16,00,00,273.00	10,96,00,062.00	-	26,96,00,335.00	-	-	-	-	26,96,00,335.00	335.00

Note: out of 50 Computer/Peripherals, 32 computer transfer to School through vidyanjali portal.



सचिव / Secretary

भारतीय वायुमन-आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

भारत सरकार

Ministry of Civil Aviation

भारतीय वायुमन-आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

भारत सरकार

Ministry of Civil Aviation

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025**

(Amount Rs.)

SCHEDULE 9: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
TOTAL		-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 10: INVESTMENT FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. In Government Securities		-	-
2. Other approved Securities		-	-
3. Shares		-	-
4. Debentures and bonds		-	-
5. Subsidiaries and joint ventures		-	-
6. Others (to be Specified)		-	-
TOTAL		-	-


सुकुप्त नारायण / SUYASH NARAIN
 सचिव / Secretary
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
 Airports Economic Regulatory Authority of India
 नागर विमानन मंत्रालय
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025

(Amount Rs.)

SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A.) CURRENT ASSETS			
1. Inventories :			
a) Stores and Spares		-	-
b) Loose Tools		-	-
c) Stock in Trade Finished Goods		-	-
Work-in-Progress		-	-
Raw Material		-	-
2. Sundry Debtors :			
a) Debts Outstanding for a period exceeding Six months		-	-
b) Others		-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		-	-
4. Bank Balances :			
a) With Schedule Bank			
On Current Accounts		6,63,05,956.09	4,51,47,064.09
On Deposit Accounts (includes margin money)		14,99,999.00	29,99,998.00
On Savings Accounts		-	-
b) With non Schedule Bank			
On Current Accounts		-	-
On Deposit Accounts (includes margin money)		-	-
On Savings Accounts		-	-
5. Post Office Savings Accounts		-	-
TOTAL (A)		6,78,05,955.09	4,81,47,062.09
B.) LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS			
1. LOANS :			
a) Staff		-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity		-	-
c) Other (Specify)		-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind for value to be received :			
a) On Capital Account (Airport Authority of India)		-	-
b) Prepayments		-	-
c) Others	5	4,01,339.00	14,18,055.00
3. Income Accrued :			
a) On Investments from Earmarked / Endowment Fund		-	-
b) On Investment - Others		-	-
c) On Loans and Advances		-	-
d) Others		271.00	811.00
4. Claim Receivable :			
a) TDS Receivable on Interest		-	-
TOTAL (B)		4,01,610.00	14,18,866.00
TOTAL (A+B)		6,82,07,565.09	4,95,65,928.09


सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

**FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2025**

(Amount Rs.)			
SCHEDULE 12: INCOME FROM SALES / SERVICES	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Sales			
a) Sale of Finished Goods		-	-
b) Sale of Raw Material		-	-
c) Sale of Scraps		-	-
2. Income from Services			
a) Labour & Processing Charges			
b) Professional / Consultancy Services		-	-
c) Agency Commission and brokerage		-	-
d) Maintenance Services (Equipment / property)		-	-
e) Other (Specify)			
TOTAL		-	-

(Amount Rs.)			
SCHEDULE 13: GRANTS / SUBSIDIES	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
1. Central Government (Refer Foot Note)		22,20,00,000.00	16,09,66,095.00
2. State Government (s)		-	-
3. Government Agencies		-	-
4. Institutions / Welfare Bodies		-	-
5. International Organisations		-	-
6. Others (Specify)		-	-
TOTAL		22,20,00,000.00	16,09,66,095.00

Foot Note:

Irrevocable Grants & Subsidies Received from Central Government	22,20,00,000.00	16,45,00,000.00
Fixed Assets purchased during the year (Net Grant)	-	35,33,905.00
	<u>22,20,00,000.00</u>	<u>16,09,66,095.00</u>

Note: As per CAG direction, Purchase of Fixed asset shown in Income and Expenditure Account

(Amount Rs.)			
SCHEDULE 14: FEES / SUBSCRIPTIONS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Entrance Fees		-	-
2. Annual Fees / Subscriptions		-	-
3. Seminar / Program Fees		-	-
4. GPF Subscription		-	-
5. Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-



सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

**AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AT 31.03.2025**

	Investment from Earmarked		Investment Others	
	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	(Amount Rs.)			
SCHEDULE 15: INCOME FROM INVESTMENTS				
(Income on investment from Earmarked / Endowment fund transferred to fund)				
1. Interest				
a) On Government Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds / Debentures	-	-	-	-
2. Dividend				
a) On Share	-	-	-	-
b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3. Rent	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

TRANSFERRED TO EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS


सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
 सचिव / Secretary
 राष्ट्रीय विमानमूल्य आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
 Airports Economic Regulatory Authority of India
 भारत विमानन विभाग
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(Amount Rs.)

SCHEDULE 16: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Income from Royalty		-	-
2. Income from Publications		-	-
3. Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 17: INTEREST EARNED	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. On Term Deposits :			
a) With Schedule Banks		-	-
b) With non-Schedule Banks		-	-
c) With Institutions		-	-
d) Others		-	-
2. On Savings Accounts :			
a) With Schedule Banks		-	-
b) With non-Schedule Banks		-	-
c) Post Offices Savings Account		-	-
d) Others		-	-
3. On Loans :			
a) Employees / Staff		-	-
b) Others		-	-
4. Interest on Debtors and other Receivables		-	-
TOTAL		-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 18: OTHER INCOME	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Profit on sale / disposal of assets :			
a) Owned assets		-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		-	-
2. Exports incentives realized		-	-
3. Fees for Miscellaneous Services	6	-	-
4. Miscellaneous Income	7	15,214.00	20.00
5. Prior period income		-	1,08,561.00
6. Excess Provision written back		-	1,66,525.00
TOTAL		15,214.00	2,75,106.00



सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानस्थल आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(AMOUNT Rs.)

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Closing Stock			
- Finished Goods		-	-
- Work-in-progress		-	-
b) Less: Opening Stock			
- Finished Goods		-	-
- Work-in-progress		-	-
NET INCREASE/ (DECREASE) (A-B)		-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	8	7,02,25,406.00	7,16,36,174.00
b) Allowances and Bonus		-	-
c) Contribution to Provident Fund		-	-
d) Contribution to other fund (Specify)		-	-
e) Staff Welfare Expenses		-	-
f) Expenses on Employees Retirement and Terminal benefits		-	-
g) Others (Specify)		-	-
TOTAL		7,02,25,406.00	7,16,36,174.00

(Amount Rs.)

SCHEDULE 21: OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Repairs and maintenance		39,601.00	15,78,065.00
b) Rent, Rates and Taxes		-	1,05,21,362.00
d) Postage, Telephone and Communication charges		1,56,850.00	2,28,453.00
e) Printing and stationery		10,27,423.00	1,47,508.00
f) Travelling and Conveyance Expenses		14,39,058.00	11,34,203.00
g) Subscription Expenses		4,91,760.00	1,00,000.00
h) Auditors Remuneration		6,49,865.00	5,42,415.00
i) Hospitality Expenses		1,65,199.00	1,43,820.00
j) Professional / Consultancy fee		5,18,43,303.00	3,36,90,350.00
h) Advertisement and publicity		29,59,859.00	17,21,760.00
i) AMC Charges		25,63,143.00	11,48,387.00
j) Manpower Hiring		2,05,75,686.00	3,41,82,812.00
k) Others	9	2,76,19,906.00	1,27,58,308.30
TOTAL		10,95,31,653.00	9,78,97,443.30

Foot Note:

Prior Period items

Particulars	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Pension & Leave Salary	-	4,06,264.00
Others	-	1,36,807.00
	-	5,43,071.00

सुयश नारायण / SUYASH NARAIN

सचिव / Secretary

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

राज्य विमानचन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

(Amount Rs.)

SCHEDULE 22: EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Grants given to Institutions / Organisations		-	-
b) Subsidies given to Institutions / Organisations		-	-
TOTAL		-	-

(Amount Rs.)

SCHEDULE 23: INTEREST	ANNEXURE NO.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) On Fixed Loans		-	-
b) On Other Loans (Including Bank Charges)		-	-
c) Others (Specify)		-	-
TOTAL		-	-


 सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
 सचिव / Secretary
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
 Airports Economic Regulatory Authority of India
 वायु विमानन मंत्रालय
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
ANNEXURES TO BALANCE SHEET

(Amount Rs.)

Annexure : 1 Sundry Creditors	CURRENT YEAR (24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Other liability	-	-
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

Annexure : 2 Statutory Liabilities	CURRENT YEAR (24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
CGST GST TDS @ 1%	19,116.00	30,179.00
IGST GST TDS @ 2%	1,46,590.00	56,010.00
SGST GST TDS @ 1%	19,116.00	30,179.00
NPS Payable	-	392.00
TOTAL	1,84,822.00	1,16,760.00

(Amount Rs.)

Annexure : 3 Other Current Liabilities	CURRENT YEAR (24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Security Deposit	7,31,456.00	12,09,646.00
Earnest Money Deposit	-	8,00,000.00
Copier Maintenance Corporation(EMD)	5,000.00	5,000.00
Interest Payable to Ministry	34,21,849.00	15,08,155.00
Total	41,58,305.00	35,22,801.00

(Amount Rs.)

Annexure : 4 PROVISIONS(Others)	CURRENT YEAR (24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Pension & Salary Provision	31,00,000.00	30,00,000.00
Professional Fee Provision	39,85,233.00	20,78,469.00
Provision for AMC	4,25,000.00	4,53,984.00
Provision for Audit Fee	6,00,000.00	5,41,300.00
Provision for Hiring Vehicle	1,89,443.00	1,42,173.00
Provision for House Keeping Expense	-	1,01,924.00
Provision for Manpower Outsourcing AAI Old	3,21,30,983.00	3,21,30,983.00
Provision for Manpower Outsourcing	28,85,557.00	23,88,446.00
Provision for Electricity & Power	4,99,962.00	4,99,962.00
Provision for Repair & Maintenance Charges	40,30,767.00	51,00,524.00
Provision for Other Expenses	50,958.00	3,93,440.00
Provision For Salary Exp	53,72,547.00	55,64,936.00
Provision for CEA	3,37,500.00	3,40,880.00
Total	5,36,07,950.00	5,27,37,021.00


सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानचरन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

(Amount Rs.)

Annexure : 5 Advances and other amounts recoverable in cash or in kind (others)	CURRENT YEAR(24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Airport Authority of India -(Refugee staircase)	2,80,600.00	7,55,671.00
Airport Authority of India	-	5,41,645.00
Energy Efficiency Services Limited	1,20,739.00	1,20,739.00
TOTAL	4,01,339.00	14,18,055.00

(Amount Rs.)

Annexure : 6 Fees for Miscellaneous Services	CURRENT YEAR(24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Postal order / RTI Fees	-	-
TOTAL	-	-

(Amount Rs.)

Annexure : 7 Miscellaneous Income	CURRENT YEAR(24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Sale of old furniture and scrap	14,924.00	-
Other Receipt	290.00	20.00
TOTAL	15,214.00	20.00

(Amount Rs.)

Annexure : 8 Salaries and Wages	CURRENT YEAR(24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Salary Exp	5,88,46,798.00	5,33,41,029.00
Employer's Contribution Towards NPS	41,25,445.00	30,82,462.00
Pension and Leave Salary	30,51,825.00	56,95,130.00
Medical Exp	13,37,219.00	18,80,984.00
Employer's Contribution Towards CPF	11,81,289.00	16,91,967.00
Employer's Contribution Towards EPF	1,19,636.00	3,96,760.00
Arrear Salary	-	7,51,245.00
Transport Allowance & CEA	5,09,628.00	6,09,614.00
Arrear DA	1,95,759.00	2,86,854.00
Honorarium	1,55,000.00	1,60,000.00
Bonus	1,24,344.00	1,03,620.00
Employer Subscription of Pension	2,83,293.00	1,96,501.00
Leave Encashment	1,20,338.00	31,90,663.00
Deputation Allowance	-	1,77,957.00
GSIL Bene Fund MC	4,750.00	25,973.00
Ration Allowance	-	45,415.00
Arrear HRA	1,70,082.00	-
TOTAL	7,02,25,406.00	7,16,36,174.00

(Amount Rs.)

Annexure : 9 Other Administration Expenses	CURRENT YEAR(24-25)	PREVIOUS YEAR (23-24)
Contract for Hiring Vehicle	14,42,191.00	14,20,029.00
Internet & Data Charges	4,953.00	78,711.00
News Paper & Magazines	66,490.00	59,383.00
Office Expenses	1,02,92,669.00	67,71,693.00
Reimbursement of TA/DA	9,66,922.00	9,59,792.00
Reimbursement of Office Bag	7,875.00	42,099.00
TDS Fees	-	800.00
Training Programme	-	22,35,287.30
Refreshment Expenses	7,64,888.00	5,10,402.00
Bank Charges	12.00	-
LTC Advance	1,12,000.00	1,14,909.00
Reimbursement Of transfer Grant	-	2,00,907.00
Prior Period Item	-	1,36,807.00
Reimbursement of Telephone Charges	2,67,279.00	2,27,489.00
AAI Employee Salary	1,36,94,627.00	-
TOTAL	2,76,19,906.00	1,27,58,308.30


सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
 सचिव / Secretary
 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
 Airports Economic Regulatory Authority of India
 नागर विमानन मंत्रालय
 Ministry of Civil Aviation

FINANCIAL STATEMENTS OF AIRPORTS ECONOMIC REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED
31.03.2025

SCHEDULE 24-SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVENTORY VALUATION

2.1 Stores and spares (including machinery spares) are valued at cost.

2.2 Raw material, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overheads.

3. INVESTMENTS

3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. 3.3 Cost includes acquisition expansion like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Not Applicable

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are purchased out of Grants in Aid received from government. According to Accounting Standard 12, such grants are treated as Capital Grants. Grants are deducted from the gross value of the assets at the time of capitalization of assets arriving at its book value. When the grant is equal to the cost of the asset, the asset is shown in the balance sheet at nominal value at INR 1/-

5.2 Fixed assets received by way of non-monetary grants (other than towards the corpus fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital reserve

5.3 Capital Work in Progress against which a grant of Rs. 29.43 Crores have been received in Previous Year has been completed in current year, According to Accounting Standard 12, Grant are deducted from gross value of asset at the time of capitalization of asset when the grant is equal to the cost of the asset, the asset is shown in balance sheet at a nominal value at INR 1/-


सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
नागर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

6. DEPRECIATION

6.1 No Depreciation is charged on the assets purchased from the Grants in Aid received from Government.

7. MISCELLANEOUS EXPENSES

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the date it is incurred.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Not Applicable

9. GOVERNMENT GRANTS / SUBSIDIES

9.1 Government Grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up project are treated as Capital Reserve.

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government Grants/Subsidy are accounted on realization basis.

9.4 Refer schedule no. 13 for the grants received during the current year and previous year. Further, no non-monetary grant received during the current year and previous year.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the time of transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing at the year end. The resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other case is considered to revenue.

11. LEASE

Lease payments of INR **NIL** (PY INR 1,05,21,362.00) is recognized in the Income and expenditure account for the current year.

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 Airports Economic Regulatory Authority of India (AERA) appoints the staff purely on Deputation/Short term contract basis from amongst the official working in Central Govt/Central Public Sector undertaking/Autonomous bodies in accordance with the 'Airports Economic Regulatory Authority Employees (Number of posts and conditions of service) Rules, 2011'. AERA is not liable to pay gratuity to its employees. Hence, no provision has been made in AERA books for such benefits.


सुयश नारायण / **SUYASH NARAIN**
सचिव / Secretary
भारतीय विमानचरतन आर्थिक विनियामक प्रधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
मानर विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that they are entitled to receive the benefit as at each year end.

PLACE: NEW DELHI



सुयश नारायण / SUYASH NARAIN
सचिव / Secretary
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India
वायु विमानन मंत्रालय
Ministry of Civil Aviation

c) Other expenditure

- Commission on sales	NIL	NIL
- Legal and professional expenses	NIL	NIL
- Miscellaneous expenses	NIL	NIL
- Training expenses	NIL	12,49,978.30

6.3 Earnings:

Value of exports on FOB	NIL	NIL
-------------------------	-----	-----

6.4 Remuneration to C & AG Auditors

As Auditor	6,49,865.00	5,42,415.00
------------	-------------	-------------

-Taxation Matters

-For Management Services

-For certification

-Other

7. Corresponding figures for the previous year has been regrouped/rearranged whenever necessary.

8. During the year 2024–25, no excess provisions made in previous years were written back in the books of accounts.

9. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the balance sheet as at 31.03.2025 and the income and expenditure account for the year ended on that date.

PLACE: New Delhi



NAME: SUYASH NARAIN

DESIGNATION: SECRETARY

सुयश नारायण / SUYASH NARAIN

सचिव / Secretary

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

नागर विमानन मंत्रालय

Ministry of Civil Aviation

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Airports Economic Regulatory Authority for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Airports Economic Regulatory Authority, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended 31 March 2025, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 35(2) of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, the accompanying financial statements of Airports Economic Regulatory Authority, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and (of) its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with uniform format of accounts/accounting standards generally accepted in India.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/ standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc. Our responsibilities are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the financial statements

The management of Airports Economic Regulatory Authority is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts applicable to the AB/accounting standards generally accepted in India, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards /manuals /guidelines /guidance-notes/orders/circulars etc.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi
Dated: 16 October 2025


(Pramod Kumar)
Addl. Deputy Comptroller and Auditor
General (Infrastructure)
New Delhi

Separate Audit Report on the Accounts of Airports Economic Regulatory Authority for the year ended 31 March 2025

A. Balance Sheet

Corpus / Capital Fund and Liabilities

Current Liabilities and Provisions (Schedule: - 7) - ₹ 579.51 lakh

The above does not include provision for ₹ 9.56 crore on account of the salary of employees of AAI posted in AERA for the period from May 2009 to March 2015. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Provisions and Other Administrative Expenditure to the extent of ₹ 9.56 crore.

A similar comment was also raised during the year 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24 however, no corrective action has been taken by the management.

B. Assessment of Internal Controls


- i. **Adequacy of Internal Control System:** Internal control system is adequate and commensurate with the size and nature of Authority.
- ii. **Adequacy of Internal Audit System:** Internal audit has not been conducted for the period 2024-25.
- iii. **System of Physical verification of fixed assets:** Physical verification of assets has been conducted for the year 2024-25.
- iv. **System of Physical verification of inventory:** There is no inventory in Authority.
- v. **Regularity in payment of statutory dues:** Statutory dues were paid on time.

C. Grants in aid

During the year 2024-25, Airport Economic Regulatory Authority of India (AERA) received a total grant of ₹ 22.20 crore from the Ministry of Civil Aviation. It had an unspent balance of grant of ₹ 4.34 crore as on 01 April 2024. Out of this total grant of ₹ 26.54 crore, AERA could utilize ₹ 20.32 crore during 2024-25, leaving an unspent grant of ₹ 6.22 crore as on 31 March 2025. (Data as per Utilization Certificate submitted to Administrative Ministry)

AERA has also earned interest amounting to ₹ 0.34 crore on grant, which was payable to Ministry as on 31 March 2025.





YOGA DAY CELEBRATIONS





सत्यमेव जयते



भारत सरकार
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उडान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

Government of India
Airports Economic Regulatory Authority of India
3rd Floor, Udaan Bhawan, Safdarjung Airport,
New Delhi-110003